The House reassembled at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यों के लिए एक सूचना है। Hon. Members, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, is organizing a cultural event "Divya Kala Shakti: Witnessing Ability in Disability" at 6.30 PM today at the Balayogi Auditorium, Parliament Library Building. The President of India and the Prime Minister will grace the occasion.

Members may attend the event and take their seats by 6.10 P.M.

सभा के नेता (श्री थावरचन्द गहलोत) : उपसभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह दिव्यांगजनों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। यह कार्यक्रम अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में हुआ था और राष्ट्रपति जी की इच्छानुसार ही यह कार्यक्रम एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम में हो रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे वहां पधारें।

GOVERNMENT BILLs

The Appropriation (No. 2) Bill, 2019

And

The Finance (No. 2) Bill, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Appropriation (No.2) Bill, 2019 and the Finance (No.2) Bill, 2019. Shrimati Nirmala Sitharaman to move the Bills. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : पहले हमारी बात सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप पहले यह बिल मूव कर लेने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा : आप हमारी बात सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2019-20, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2019-20, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Appropriation (No. 2) Bill, 2019 and the Finance (No. 2) Bill, 2019, are open for discussion. Mr. Minister, do you want to say something? क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहती हैं?...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: This is the Appropriation Bill. So, at this stage, I don't have to say anything ..*(Interruptions)*..

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, I am on a point of order.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am also on a point of order. But, maybe, he is elder to me. Please listen to him first. After that, I will make my point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Balasubramoniyanji, under which rule, are you raising your point of order? माननीय आनन्द जी, तब तक आप बोल दीजिए।...(**व्यवधान**)...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: No, no. It is regarding the Appropriation Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is your point of order related to this Appropriation Bill and the Finance Bill? ..*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: It is related to the Appropriation Bill. We have passed the Budget. Lok Sabha has already passed the Budget..*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Can you tell me the rule?

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Rule 258..*(Interruptions)*...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): ऐसे कैसे? ...(**व्यवधान**)... आप अपना point of order बताइए।

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Why are you in a hurry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJ KUMAR SINGH): Sir, there is no point of order.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: There is a point of order..(Interruptions).. I am coming to Rule 192. As far as the Budget is concerned, it has presented.

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। It relates to the constitution of Committee of Privileges. What is this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Point of order should be related to the subject under discussion. There is no point of order. माननीय आनन्द शर्मा जी, आप बोलिए। ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I want to make this submission, through you, to the Leader of the House and to the Government. Today morning, I myself and other senior leaders in the Opposition have given notices under Rule 267. It is a matter of fact and record that...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय आनन्द जी, उस पर माननीय चेयरमैन ने already निर्णय दे दिया है।...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: Please allow me, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : उसके अलावा कोई विषय हो, जो इससे संबंधित हो, तो मैं allow करूंगा।...(**व्यवधान**)... मैं निश्चित allow करूंगा, लेकिन यह इस विषय से संबंधित होना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: I respect the Chair, Sir, please allow me. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Will you allow us to reply to you?

SHRI ANAND SHARMA: Sure. But, he will reply. ...*(Interruptions)*... He is in the Chair. ...*(Interruptions)*... जावडेकर जी, आप मंत्री हैं, पहले हमारी बात पूरी होने दें,...(**व्यवधान**)... पहले हमारी बात पूरी हो जाए।

श्री उपसभापति : माननीय आनन्द जी, अगर आप वह विषय उठाना चाहते हैं, जिसे शुरुआत में उठाया था, तो माननीय चेयरमैन ने decision दे दिया है, उसकी इजाज़त में नहीं दे सकता।

श्री आनन्द शर्मा : आप मेरी बात सुनें। अनुमति की बात नहीं है। सदन के अपने कुछ अधिकार हैं, एक सदस्य के रूप में भी हमारे अधिकार हैं। आप हमारी बात सुनिए।

श्री उपसभापति : उस अधिकार के सम्बन्ध में माननीय चेयरमैन ने already अगर वह विषय है, तो उस पर निर्णय दे दिया है।

श्री आनन्द शर्मा : आप हमारी बात सुनिए। हमने एक प्रश्न उठाया है। मैं आपके माध्यम से बड़े सम्मान से बात कह रह हूं कि इस सदन की कुछ परंपराएं रही हैं, नियमावली भी है, परंपराएं भी रही हैं और सदन की गरिमा भी है। जब से 1952 से भारत की संसद का गठन हुआ है, तब से जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय होता है, जब देश के प्रधान मंत्री बाहर जाते हैं...

श्री उपसभापति : इस विषय पर माननीय चेयरमैन साहब निर्णय दे चुके हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा : तो उससे प्रधान मंत्री सदन को अवगत कराते हैं। आज एक गम्भीर बात उठी है। हम सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री उपसभापति : मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...**(व्यवधान)**...

SHRI ANANA SHARMA: *

श्री उपसभापति : श्री पि. भट्टाचार्य।...**(व्यवधान)**... कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।...**(व्यवधान)**... माननीय पि. भट्टाचार्य जी, please speak on the subject...*(Interruptions)*... श्री भुपेन्द्र यादव।...**(व्यवधान)**... डा. अशोक बाजपेयी।...**(व्यवधान)**... कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।...**(व्यवधान)**... हम लोग the Appropriation (No. 2) Bill, 2019 और the Finance (No. 2) Bill, 2019 पर discussion कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**... इसके अलावा और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।...**(व्यवधान)**... डा. अशोक बाजपेयी।...**(व्यवधान)**...

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आपने मुझे वित्त विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए अनुमति प्रदान की है।...**(व्यवधान)**... महोदय, वित्त विधेयक (संख्यांक 2), 2019 के प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 एवं अन्य विभागों में संशोधन करने की मांग करते हैं...**(व्यवधान)**... ताकि कर आधार को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने,...**(व्यवधान)**... कम नगद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, छोटे उद्यमियों के लिए निगमित कर की दर को कम करने,...**(व्यवधान)**... कर प्रोत्साहन प्रदान करके दुर्व्यवहार विरोधी उपायों को मजबूत

* Not Recorded.

करने,...**(व्यवधान)**... करदाताओं की परेशानियां दूर करने...**(व्यवधान)**... और कर प्रशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के माध्यम से प्रत्यक्ष करों में उछाल को गति प्रदान की जा सके।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।...**(व्यवधान)**... सिर्फ डा. अशोक बाजपेयी, जो इन दोनों बिलों के बारे में बोल रहे हैं, उनकी बात रिकॉर्ड पर जा रही है।...**(व्यवधान)**...

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर, इसमें करदाताओं के लिए जो प्रोत्साहन दिए गए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा।...**(व्यवधान)**... इसमें सस्ते आवास की खरीद के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।...**(व्यवधान)**... सस्ते आवास की खरीद के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज कटौती को दो लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ा कर 3.5 लाख रुपए करना प्रभावित है।...**(व्यवधान)**... इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है।...**(व्यवधान)**... इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए, लिए गए ऋण पर 1.5 लाख रुपए तक की ब्याज कटौती करना प्रस्तावित है।...**(व्यवधान)**... इसमें एनपीएस के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है।...**(व्यवधान)**... प्रस्तावित किए गए विभिन्न प्रोत्साहन, यथा (i) एनपीएस खाते को बंद करने पर एनपीएस से निकाले जानी वाली राशि पर पूर्ण छूट; (ii) एनपीएस को केन्द्रीय सरकारी अंशदान पर 14 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती;...**(व्यवधान)**... (iii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके टियर-II एनपीएस खातों में अंशदान पर धारा 80ग के अन्तर्गत कटौती।...**(व्यवधान)**... इसमें केवल बीमा पॉलिसी भुगतान से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर कटौती के बारे में कहा गया है कि सकल राशि के बजाय कर के अधीन जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।...**(व्यवधान)**... महोदय, निगमित कर के लिए उच्च कारोबार सीमा निर्धारित की गई है।...**(व्यवधान)**... वर्तमान में 25% की न्यूनतम दर केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होगी, जिनका कुल कारोबार 250 करोड़ रुपये तक है।...**(व्यवधान)**... इस सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि उन सभी कंपनियों को शामिल किया जा सके, जिनका कुल कारोबार 400 करोड़ रुपये वार्षिक है।...**(व्यवधान)**... यह 99.3% कंपनियों की कवर करता है। अब केवल 0.7% कंपनियां ही इस दायरे से बाहर रह जाएगी।...**(व्यवधान)**...

Offshore Rupee Denominated Bonds के माध्यम से कम लागत वाले विदेशी उधारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**... धारा 194(ठ) के अंतर्गत Offshore Rupee Denominated Bonds को जारी करने के माध्यम से अनिवासियों को उधारी से होने वाली ब्याज आय पर छूट दी जाएगी।...**(व्यवधान)**...

ऑफशोर निधियों के लिए विशेष कराधान व्यवस्था की शर्तों में छूट दी गई है।...**(व्यवधान)**... भारत में निधि प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 9(क) में उपयुक्त संशोधन करने के द्वारा कतिपय बाध्यताओं को दूर करने का प्रस्ताव भी है।...**(व्यवधान)**...

[डा. अशोक बाजपेयी]

मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण पर जोर देते हुए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ कैशलेस सोसाइटी बनाने के अभियान के माध्यम से प्रगतिशील वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है।...**(व्यवधान)**... वित्त विधेयक, 2019-20, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।...**(व्यवधान)**...

प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर 2% की दर से कर लगाया जाएगा।...**(व्यवधान)**... वे कारोबारी जिनका कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है, उनके लिए भुगतान के एक माध्यम के रूप में, डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है।...**(व्यवधान)**... ऐसा न किये जाने पर दंडात्मक जुर्माना निर्धारित किया गया है।...**(व्यवधान)**...

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत किसी भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता द्वारा ग्राहकों के इलेक्ट्रिक माध्यम से भुगतान (आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित) किये जाने पर लगने वाले शुल्क को लेने से रोकने के लिए संशोधन किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**...

मोदी सरकार के द्वारा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है।...**(व्यवधान)**... यह घोषणा 2014 के लोक सभा चुनावों के लिए, भाजपा के प्रमुख घोषणापत्रों में से एक थी।...**(व्यवधान)**... पिछले पांच वर्षों में नरेन्द्र मोदी सरकार ने काले धन की उत्पत्ति की जांच करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम में संशोधन किया गया, इसके साथ-साथ काले धन के संबंध में अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति कर अधिरोपण अधिनियम को भी लाया गया।...**(व्यवधान)**...

वित्त विधेयक, 2019 ने काले धन के खिलाफ लड़ाई को और गति देने के लिए कई प्रमुख विधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया है।...**(व्यवधान)**... बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत, दंड बढ़ाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**... मौजूदा दंड के अलावा, कोई भी व्यक्ति जो सम्मन का पालन करने में विफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रत्येक विफलता के लिए वह 25,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।...**(व्यवधान)**... इसके अलावा, अधिनियम के तहत कुछ अपराधों के अभियोजन के लिए सीबीडीटी से पूर्व मंजूरी भी आवश्यक है।...**(व्यवधान)**... अनुमोदन प्राधिकारी को आयुक्त, निदेशक, प्रधान आयुक्त या आयकर के प्रधान निदेशक में बदल दिया गया है।...**(व्यवधान)**...

काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) और कर आरोपण अधिनियम, 2015 का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है।...**(व्यवधान)**... वित्त विधेयक, 2015, इस अधिनियम में निर्धारिती की परिभाषा को बदल देता है।...**(व्यवधान)**... वर्तमान में यह अधिनियम केवल भारत के निवासियों पर लागू होता है, लेकिन यह विधेयक इसमें संशोधन करता है, ताकि इस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।...**(व्यवधान)**...

SHRI P. CHIDAMBARAM (Maharashtra): Sir, if a large section of the Opposition is agitated, you will have to adjourn the House, call them and try to find a solution. You can't ask an hon. Member to speak even when Members are in the Well and agitated. ...*(Interruptions)*... Is this the way to run the House? Then why have a House at all? Shall we all leave the House, leaving only the Treasury Benches and you present there? ....*(Interruptions)*... Let the Treasury Benches and you run the House. We will all leave the House and not come back at all. ...*(Interruptions)*....

श्री उपसभापति : माननीय चिदम्बरम जी...**(व्यवधान)**... माननीय चिदम्बरम जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।...**(व्यवधान)**... आपको हमने अपनी बात कहने के लिए...**(व्यवधान)**...

SHRI P. CHIDAMBARAM: We will not come back at all. ...*(Interruptions)*... Shri C.M. Ramesh will become the champion in the BJP now. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय चेयरमैन साहब सुबह से इसकी कोशिश कर रहे थे।...**(व्यवधान)**... इसी संदर्भ में आपके पक्ष से माननीय आनन्द जी ने यह सवाल उठाया और विदेश मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया।...**(व्यवधान)**... उसके बाद बात पूरी हो गई।...**(व्यवधान)**... यह संसद की गरिमा के अनुकूल ही है कि माननीय चेयरमैन के फैसले के बाद पुन: आप उस मुद्दे को नहीं उठा सकते।...**(व्यवधान)**... मैं तो बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य वापस जाएं और अपनी सीटों पर बैठें।...**(व्यवधान)**... जिस तरह से सदन में गरिमापूर्ण बहस होती है, तो यह सदन की परम्परा के अनुकूल होगा कि आप सब अपनी-अपनी जगह जाएं और इस बहस को चलने दें।...**(व्यवधान)**...

डा. अशोक बाजपेयी : महोदय, "धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002" के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं, जैसे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए विधेयक में संशोधन किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**... इन संस्थाओं को अपने ग्राहकों की पहचान, उनके धन के स्रोत और लेन-देन करने वाले पक्षों के बीच...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय अशोक बाजपेयी जी, एक मिनट।...**(व्यवधान)**... मेरा आग्रह होगा कि आप सब...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर : महोदय, इस प्रकार तो ये सदन को बाधित कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**... ये सदन को बाधित कर रहे हैं, साथ ही जो सदस्य बोल रहा है, उसका अधिकार भी छीन रहे हैं।...**(व्यवधान)**... दूसरे सदन में इनकी पार्टी के लोग सदन का बहिष्कार करके चले गए, उन्होंने वॉक आउट किया, लेकिन यहां ये वॉक इन करके आ रहे हैं।...**(व्यवधान)**... ये ऐसा क्यों कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**... ये कानून से नहीं चल रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय Leader of the House कुछ कहना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**...

सभा के नेता (श्री थावरचन्द गहलोत) : महोदय, जिस विषय को लेकर व्यवधान खड़ा किया जा रहा है, यह कतई उचित नहीं है।...**(व्यवधान)**... सरकार की तरफ से देश के विदेश मंत्री, श्री जयशंकर जी ने जवाब दे दिया है।...**(व्यवधान)**... जब सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के जवाब की कोई बात आती है, तब सामूहिक जिम्मेवारी होती है और मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य सरकार की ओर से अपनी बात रख सकता है।...**(व्यवधान)**... जयशंकर जी ने अपनी बात रख दी है।...**(व्यवधान)**... देश की जनता तो ठीक है, दुनिया में कोई भी नरेन्द्र मोदी जी पर इस प्रकार की शंका करे, यह उचित नहीं है।...**(व्यवधान)**... वे देश हित में ही निर्णय लेते हैं।...**(व्यवधान)**... उन्हें जो कहना था, जयशंकर जी के माध्यम से सरकार का पक्ष आ गया है।...**(व्यवधान)**... इसलिए इस प्रकार का व्यवधान करना, यह उचित नहीं है।...**(व्यवधान)**... मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलने दें।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 3.00 p.m.

The House then adjouraned at sixteen minutes past two of the clock

The House reassembled at three of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will resume discussion on the Appropriation (No. 2) Bill, 2019 and the Finance (No. 2) Bill, 2019; Dr. Ashok Bajpai....**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा : उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन व्यवस्थित रूप से चले। मैं आपके माध्यम से नेता सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस सदन की परम्परा का सम्मान करें। पूर्व प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय आनन्द जी, मैं सदन में आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।...**(व्यवधान)**... आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...**(व्यवधान)**... डा. अशोक बाजपेयी।...**(व्यवधान)**...

डा. अशोक बाजपेयी : महोदय, मैं वित्त विधेयक नं. 2 और Appropriation No. 2 Bill का समर्थन करते हुए निवेदन कर रहा था,...**(व्यवधान)**... रिपोर्टिंग संस्थाओं, जैसे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। इन संस्थाओं को अपने ग्राहकों की पहचान, उनके धन के स्रोत और लेन-देन करने वाले पक्षों के बीच संबंधों की प्रकृति को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : सारी स्थिति माननीय चेयरमैन ने सुबह ही स्पष्ट कर दी थी।...**(व्यवधान)**... आपको बोलने का मौका मिल चुका है।...**(व्यवधान)**... इसके अलावा कोई और विषय हो तो आप बताइए।...**(व्यवधान)**... उसी विषय को पुन: मैं सदन में उठाने की इजाजत नहीं दे सकता जिस पर माननीय चेयरमैन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।...**(व्यवधान)**...

डा. अशोक बाजपेयी : इसके अलावा इस संशोधन से सरकार को अंतर-विभागीय और अंतर एजेंसी समन्वय के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति को सूचित करने की अनुमति मिलती है। इस समिति के उद्देश्य में धन शोधन या आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर नीतियों का विकास और कार्यान्वयन शामिल होगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।...**(व्यवधान)**... डा. अशोक बाजपेयी के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

डा. अशोक बाजपेयी : यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य लेन-देन करने वाले व्यक्ति आय की विवरणी भरेंगे, उन व्यक्तियों के लिए विवरणी भरना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने एक वर्ष में चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए हैं या जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे अधिक रुपए या एक वर्ष में बिजली की खपत पर 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं या जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।...**(व्यवधान)**... तीसरे पक्ष के रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए वित्तीय लेन-देन - एस.टी.एफ. के विवरण में तीसरे पक्ष द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है।...**(व्यवधान)**... उच्च मूल्य के लेन-देन को ट्रैक करने के लिए यह प्रावधान है कि पैन या आधार उद्धरण और प्रमाणीकरण कुछ निर्धारित उच्च-मूल्य या जोखिम लेन-देन के लिए अनिवार्य होगा।...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : जब भी हाउस चलता है, वह नियमों के आधार पर चलता है।...**(व्यवधान)**... या परम्पराओं के आधार पर चलता है। अगर भारत की विदेश नीति के ...**(व्यवधान)**... यदि भारत की विदेश नीति से संबंधित कोई विषय है, जिसे विपक्ष के माननीय सदस्य सुबह से उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भारत सरकार के पूरे पक्ष को माननीय विदेश मंत्री जी ने यहां रख दिया है। जब लोक सभा उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर अपना कार्य चला सकती है, तो यह एल्डर्स हाउस है, सर।...**(व्यवधान)**... हमारी जिम्मेदारी है। आज फाइनेंस बिल पर चर्चा होने जा रही है। फाइनेंस बिल महत्वपूर्ण विषय होता है। मेरा इनसे कहना है कि एक बार विदेश मंत्री जी का बयान होने के बाद, उस बयान से किसी को असहमति नहीं है, जब लोक सभा चल सकती है तो राज्य सभा को लोक सभा से ज्यादा काम करना चाहिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया फाइनेंस बिल पर चर्चा को चलाकर, बी.ए.सी. ने इसके लिए जो टाइम एलॉट किया है, उसके अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाया जाए।...**(व्यवधान)**...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : माननीय उपसभापति महोदय, यादव जी का हम आदर करते हैं, लेकिन हर वक्त यहां बताया जाता है कि लोक सभा में यह हो रहा है और राज्य सभा में वह हो रहा है - ऐसा नहीं है। अगर लोक सभा और राज्य सभा एक ही होते तो यहां एक ही सदन होता। फिर दो सदन बनाने की जरूरत नहीं थी और Constitution में दो सदन रखने की जरूरत नहीं थी। फिर तो एक ही सदन में काम होता। वह सदन dissolve होता है, जबकि यह सदन कभी dissolve नहीं होता। यह permanent सदन है। वह सदन individuals को represent करता है, यह States को represent करता है। उसे आम लोग चुनते हैं और इसे double लोग चुनते हैं- जो लोग MLAs को चुनते

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

हैं, वे लोग भी इसमें शामिल हैं और MLAs हमें चुनते हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। इसलिए हम representatives के representative हैं, उन MLAs के भी जो स्टेट की विधान सभाओं में हैं और उन करोड़ों लोगों के भी, जिन्होंने विधान सभा में उन्हें चुना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी डबल हो जाती है।...**(व्यवधान)**... जिनको मालूम नहीं है... इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, मैं असली बात बताता हूं। उस सदन में कई considerations से बिल पास होते हैं, क्योंकि लोगों को चुन कर आना होता है। Regional consideration हो सकती है, religious consideration पिछले पांच सालों से हो रही है और दूसरी कई considerations हो सकती हैं। उस consideration में आप वहां बिल पास कर सकते हैं, लेकिन इस हाउस में यानी यहां कोई consideration नहीं है, न regional consideration है, न religious consideration है, न linguistic consideration है। जो बिल वहां से पास हो जाएं, हमें उसको सोच-समझ कर देखना है, विचार करना है ताकि जो भी कानून पास हो, वह देश के हित में, देश की एकता और अखण्डता के लिए हो और देशवासियों के लिए हो। इसलिए हर दफा यह मत कहिए कि लोक सभा में हो रहा है, वहां आपने* लगाई, तो आप भी * लगाइए। माफ कीजिए, हम * लगाने के लिए नहीं है।...**(व्यवधान)**...

† **قائد حزب اختلاف:(جناب غلام نبی آزاد) :** مانیئے اُپ سبھاپتی مہودے، یادو جی کا ہم آدر کرتے ہیں، لیکن ہر وقت یہاں بتایا جاتا ہے کہ لوک سبھا میں یہ ہورہا ہے اور راجیہ سبھا میں وہ ہورہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر لوک سبھا اور راجیہ سبھا ایک ہی ہوتے تو یہاں ایک ہی سدن ہوتا۔ پھر دو سدن بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور کانسٹی ٹیوشن میں دو سدن رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر تو ایک ہی سدن میں کام ہوتا۔ وہ سدن ڈیزالو ہوتا ہے، جب کہ یہ سدن کبھی ڈیزالو نہیں ہوتا۔ یہ پرمانینٹ سدن ہے۔ وہ سدن انڈیویجولز کو ریپریزینٹ کرتا ہے، یہ اسٹیٹ کو ریپریزینٹ کرتا ہے۔ اسے عام لوگ چنتے ہیں اور اسے ڈبل لوگ چنتے ہیں، جو لوگ ایم ایل ایز کو چنتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور ایم ایل ایز ہمیں چنتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے ہم ریپریزنٹیٹیوز کے ریپریزینٹیٹیوز ہیں، ان ایم ایل ایز کے بھی جو اسٹیٹ کی ودھان سبھاؤں میں ہیں اور ان کروڑوں لوگوں کے بھی، جنہوں نے ودھان سبھا میں انہیں چنا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بھی ڈبل ہوجاتی ہے ۔۔(مداخلت)۔۔ جن کو معلوم نہیں ہے، اس میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اصلی بات بتاتا ہوں۔ اس سدن میں کئی کنسی ڈریشنس سے بل پاس

*Expunged as ordered by the Chair.

†Transliteration in Urdu Script.

ہوتے ہیں، کیوں کہ لوگوں کو چن کر آنا ہوتا ہے۔ ریجنل کنسی ڈریشن ہوسکتی ہے، ریلیجئیس کنسی ڈریشن پچھلے پانچ سالوں سے ہورہی ہے اور دوسری کئی کنسی ڈریشنس ہوسکتی ہیں۔ اس کنسی ڈریشن میں آپ وہاں بل پاس کرسکتے ہیں، لیکن اس ہاؤس یعنی یہاں کوئی کنسی ڈریشن نہیں ہے، نہ ریجنل کنسی ڈریشن ہے، نہ ریلیجئیس کنسی ڈریشن ہے، نہ لنگئیوسٹک کنسی ڈریشن ہے۔ جو بل وہاں سے پاس ہوجائے، ہمیں اس کو سوچ سمجھ کر دیکھنا ہے، وِچار کرنا ہے تاکہ جو بھی قانون پاس ہوجائے، وہ دیش کے ہِت میں، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے ہو اور دیش واسیوں کے لیے ہو۔ اس لیے ہر دفعہ یہ مت کہیئے کہ لوک سبھا میں ہورہا ہے، وہاں آپ نے * لگائی، تو آپ بھی * لگائیے۔ معاف کیجیئے، ہم * لگانے کے لیے نہیں ہیں۔ ...(مداخلت)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव : सर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय भूपेन्द्र जी, इस बहस को आगे चलने दें। मेरा आग्रह होगा कि हम लोग बहस चलने दें। अशोक बाजपेयी जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दें। ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI) : Sir, I would like to clarify one thing. He cannot call the other House as a* ...*(Interruptions)*... This is number one. And number two...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, ...(**व्यवधान**)... अगर यह सरकार पार्लियामेंट को भी डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाहती है, तो I am sorry हम ऐसे नहीं चलेंगे।...(**व्यवधान**)... यह पार्लियामेंट किसी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां आप मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी को तब्दील करना चाहें, वहां करे और यह पार्लियामेंट आपके इशारों पर चलेगी।...(**व्यवधान**)... यह देश के सिद्धांत और कानून के आधार पर चलेगी।...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

† **جناب غلام نبی آزاد :** سر ---(مداخلت)--- اگر یہ سرکار پارلیمنٹ کو بھی ڈیپارٹمینٹ کی طرح چلانا چاہتی ہے، تو آئی ایم سوری، ہم ایسے نہیں چلیں گے ---(مداخلت)--- یہ پارلیمنٹ کسی منسٹری کا ڈیپارٹمینٹ نہیں ہے کہ جہاں آپ منسٹری کو، سکریٹری کو تبدیل کرنا چاہیں، وہاں کریں اور یہ پارلیمنٹ آپ کے اشاروں پر چلے گی ---(مداخلت)--- یہ دیش کے سدّھانت اور قانون کے آدھار پر چلے گی ---(مداخلت)---

श्री सभापति : आप बोलें।...(**व्यवधान**)...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, my point of order ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर ...(**व्यवधान**)... इसलिए हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न प्रधान मंत्री जी respond करते हैं और न सरकार में किसी मंत्री की यह हिम्मत है कि प्रधान मंत्री जी को यह कहें कि यह आपका दायित्व है, जब एमपीज़ इस सदन में या उस सदन में आपकी मांग करें, पार्लियामेंट में आपका दफ्तर इसीलिए है कि जब पार्लियामेंट के सदन में आपको चाहें, तो आप आ सकते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने 6 साल से यह नहीं किया और आज भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम सारे Opposition के सदस्य walk out करते हैं।...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد :** سر، ---(مداخلت)--- اسلئے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ پردھان منتری جی respond کرتے ہیں اور نہ سرکار میں کسی منتری کی یہ ہمّت ہے کہ پردھان منتری جی کو یہ کہیں کہ آپ کا دائتّو ہے، جب ایم پیز اس سدن میں یا اس سدن میں آپ کی مانگ کریں، پارلیمنٹ میں آپ کا دفتر اسی لئے ہے کہ جب پارلیمنٹ کے سدن میں آپ کو چاہیں، تو آپ آسکتے ہیں، لیکن پردھان منتری جی نے چھہ سال سے یہ نہیں کیا اور آج بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اس لئے ہم سارے اپوزیشن کے سدسئے واک-آؤٹ کرتے ہیں ---(مداخلت)---

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

SHRI BHUPENDER YADAV : Sir, only for matter of record....*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : आप बोलिए।...(**व्यवधान**)... He is on a point of order....*(Interruptions)*...

SHRI PRALHAD JOSHI: I would like to request you, Sir, he has said that we cannot be* and Lok Sabha is a *. He has celled it. You verify the records and expunge those sentences.

†Transliteration in Urdu Script.
* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be verified. It will be verified.

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, वैसे तो हाउस से रूल तब पढ़ा जाता है, जब रूलिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन इस सदन में matter of record के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रूल 251 में यह है, "A Statement made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Chairman but no question shall be asked at the time the statement is made." सर, 251 में मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट हुआ, सदन में सारा विषय रखा गया, सरकार ने पूरा पक्ष स्पष्ट किया। मेरा यह मानना है कि उसके बाद भी पार्लियामेंट की गतिविधि को रोकना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। माननीय लीडर ऑफ दि हाउस।

श्री थावरचन्द गहलोत : उपसभापति महोदय, मैं फिर से वह बात दोहराना चाहता हूं, जो मैंने पहले कही थी कि प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख हैं और मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी से काम किया जाता है। देश की यशस्वी विदेश मंत्री जी ने, विरोध पक्ष की ओर से जो विषय यहां पर उठाया गया था, उस संबंध में एकदम स्पष्टीकरण दे दिया। कोई कारण नहीं है प्रधान मंत्री जी के ऊपर शक-शुबहा करने का और इस प्रकार का व्यवधान पैदा करने का। मैं विरोध पक्ष के समस्त माननीय सांसदों से अपील करता हूं कि वे इस प्रकार का आचरण न करें और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाते रहें और उसमें सम्मिलित हों।

श्री उपसभापति : डा. अशोक बाजपेयी।

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर, करदाताओं के लिए ईज़ ऑफ लिविंग शुरू की गई। जो ईमानदार करदाता हैं, जो कर का भुगतान करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार अपने करदाताओं को धन्यवाद देती है, जो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने करों का भुगतान करके, अपना कर्तव्य निभाते हैं। यह उनके बहुमूल्य योगदान के कारण है कि हमारी सरकार, हमारे राष्ट्र के समावेशी और सर्वांगीण विकास के सामूहिक सपने के लिए काम करती है। करदाता के लिए टैक्स फाइलिंग और आकलन को परेशानी मुक्त बनाने के लिए, वित्त विधेयक कुछ प्रस्ताव करता है। पहला, पैन और आधार की विनिमयता। अगर पैन कार्ड नहीं है, तो आधार के आधार पर भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न भरने से पहले करदाता के अनुपालन में आसानी के लिए आयकर रिटर्न की पूर्व फाइलिंग को सक्षम करने के लिए तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

मान्यवर, मैं विवाद समाधान योजना के बारे में बताना चाहता हूं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबित मामलों

[डा. अशोक बाजपेयी]

के समाधान और निपटान के लिए सबका विश्वास लीगेसी विवाद समाधान योजना नामक एक विवाद समाधान सहित माफी योजना शुरू की जा रही है। फेसलेस ई-आकलन की एक योजना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेसलेस आकलन की एक योजना, जिसमें कोई मानव इंटरफेस शामिल नहीं होगा, इस तरह की व्यवस्था इस संशोधन में की गई है। मान्यवर, कम्पोजिशन और अन्य डीलरों के लिए सरलीकृत रिटर्न और भुगतान की आवश्यकताएं त्रैमासिक भुगतान और वार्षिक रिटर्न के लिए एक योजना है। इसके तहत वे वार्षिक रिटर्न के साथ-साथ अपनी त्रैमासिक रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे। इसके लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा-39 में संशोधन किया गया है। मान्यवर, माल के आपूर्तिकर्ता के लिए थ्रेशहोल्ड सीमा में वृद्धि की गई है। वह आपूर्तिकर्ता जो मुख्य रूप से माल की आपूर्ति के कार्य में संलग्न है, उनके लिए थ्रेशहोल्ड सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। बड़ी संख्या में छोटे करदाताओं को जीएसटी अनुपालन से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा-22 में संशोधन किया गया है। सेवा प्रदाताओं के लिए, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए कम्पोजिशन योजना होगी। सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या मिश्रित आपूर्तिकताओं, जो पहले की कम्पोजिशन योजना के लिए पात्र नहीं थे, उनके लिए वैकल्पिक कम्पोजिशन योजना निर्धारित की गई है, जिसमें 50 लाख रुपए तक के वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार होता है। इससे बड़ी संख्या में छोटे सेवा प्रदाताओं, सर्विस प्रोवाइडर्स को राहत मिलेगी। सीजीएसटी अधिनियम की धारा-10 में संशोधन किया गया है। मैं आपको सरलीकृत वैद्युत नकदी बही-खाता के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, वैद्युत नकदी बही-खाते में...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : डा. अशोक बाजपेयी जी आपका समय खत्म हुआ। कृपया conclude करें।

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर, हमने अभी शुरू किया है। हमारा समय शोर में चला गया था।

श्री उपसभापति : आपको पार्टी ने 10 मिनट दिए थे, 10 मिनट पूरे हो गए हैं।

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर, मैं मुख्य-मुख्य प्वाइंड...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : कृपया एक मिनट के अंदर conclude करें।

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर, केवल निवल कर देयता पर ही ब्याज का लगाया जाना... मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुक्त विनिर्धारित रिटर्न को प्रस्तुत करने की तारीख को बढ़ा सकता है। इसमें आयुक्त को रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार भी दिया गया है। केन्द्रीकृत स्वचालित रिफंड का संवितरण, इसके तहत स्वचालित रिफंड हो सकेगा। इसके लिए सीपीएसटी अधिनियम की धारा-54 में संशोधन किया गया है। भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय अवसंरचना के विकास के लिए आईएफएससी, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, उसे संस्थानों और भारतीय वित्तीय संस्थानों, कंपनियों के भीतर संचालित करने और ग्राहक को भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रबंध करने की अनुमति देता है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : खत्म करिए, खत्म करिए।

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर, इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : डा. अशोक बाजपेयी, please conclude करें। मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा।

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर एक मिनट...**(व्यवधान)**... मैं conclude कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : जो पार्टी ने समय दिया था, आप ऑलरेडी उससे अधिक बोल चुके हैं। मैं अगले स्पीकर को बुलाता हूं। Now, Shri P. Bhattacharya - not present; Shri A. Navaneethakrishnan - not present; Shri Manas Ranjan Bhunia - not present; Shri Sanjay Seth - not present. Shri Prashanta Nanda.

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to take part in this discussion on the Appropriation Bill.

Sir, while talking about the Appropriation Bill, I would like to first draw the attention of the hon. Minister to the 17 world-class tourist places which she announced in her Budget Speech. The people of Odisha are shocked to know that no place from Odisha has been chosen or included among those 17 places.

Sir, who doesn't know about Jagannath Puri? Every day minimum one lakh people go there. There is a Bay of Bengal beach which is one of the best beaches. Hon. Minister also knows about it. Go ahead for another half-an-hour, you will see Black Pagoda, the world wide known Konark Sun Temple. You go further another forty-five minutes, you will reach Bhubaneswar where there are more than a thousand of temples and Jain relics. We say it a golden triangle for tourism. We have Chilika Lake which is the most famous lake. We have also got a sanctuary named Bhitarkanika. Tourists love to go there. There are so many other places in Odisha, but I don't know how hon. Minister could not include one of those places in that list. I request, through you, to the hon. Minister to include one or two places in the list of world class tourist places.

Now, I am coming to the fiscal relationship between the State and the Centre. The increase in devolution of Central taxes from 32 per cent to 42 per cent following the recommendations of the Fourteenth Finance Commission is a welcome step. But the effect of increased devolution has been off-set, to a large extent, by several policy decisions of the Union Government. These include, delinking of eight Centrally-sponsored schemes from Central support, abolition of normal Central assistance and

[Shri Prashanta Nanda]

a steep increase in State's share in Centrally-Sponsored Scheme (CSS). For example, when Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was started in 2001, it was fully funded by the Government. It was very popular. I must thank hon. Atal Bihari Vajpaeeji who had done this because he knew that only this kind of infrastructure can build our country. It was so popular that demand increased, but the money which our State was getting was not enough to meet the demand. So, our hon. Chief Minister had to add another scheme called Mukhya Mantri Sadak Yojana. Now, what has happened? The State has to give a share of 40 per cent. Similarly, the sharting pattern under National Health Mission (NHM) and Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) has been revised with State like Odisha having to contribute 40 per cent instead of 25 per cent earlier. Such a change in share pattern has cast a huge additional financial burden leading to much less resources for the State schemes appropriate to our needs. I urge the Government of India to appreciate genuine concerns of the State Government and consider restoring the earlier sharing pattern of the Centrally-Sponsored Scheme (CSS) which I have just spoken. Justice Punchhi Commission, on Centre-State relations, has recommended for higher Central transfer to backward States for improving their physical and human infrastructure. The Government of Odisha has been long requesting that the State be included among the Special Category State or Special Focus State for its high percentage of population belonging to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes and persistent occurrence of natural disasters, almost every year, which is highly affecting its developmental status and needs. The economic divide emanating from asymmetric growth and backwards of the regions, dominated by tribals and vulnerable groups, give rise to regional imbalance which calls for focussed attention of the Government for achieving inclusive growth. The Left Wing Extremism is one of the biggest internal security threats and poses a national challenge. Discontinuance of Central assistance for Area Development Scheme like, Special Plan for KBR, BRGF (Backward Region Grant Fund) and Integrated Action Plan for LWE, that is, Left Wing Extremism affected districts, has affected the developmental programme in some of the most vulnerable and backward regions of Odisha. Will Government of India provide a special package to the State for continuation of these programmes from the Budget provision available with the NITI Aayog? Sir, the hon. Minister may kindly answer during her reply the following. Number one, will the Minister of Finance evolve a single window system for advance communication of annual allocation and sharing pattern of CSS to the States? Number two, will the hon. Minister introduce the process of giving indications to the States about annual allocation and sharing pattern of CSS in order to impart a greater degree of certainty to the Budgeting exercise for ensuing years? Thirdly, will the releases under the CSS especially SSA and NGM be made commensurate with the annual programme

communicated to States so that States are not made to contribute much higher than their share of 40 per cent? And, finally, will the Government of India revise the royalty on coal as the same was due for revision in April, 2015?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, your time is over.

SHRI PRASHANTA NANDA: Financial inclusion has been further constrained by the lack of brick and mortar branches in the State. More than 70 per cent of our Gram Panchayats do not have a bank branch. Only 335 brick and mortar bank branches have been opened during the last three years. Out of total 6798 GPs in the State, 4923 GPs do not have brick and mortar bank branches in the State.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nandaji, please conclude.

SHRI PRASHANTA NANDA: Sir, I am just concluding. Only half-a-minute, please. Only 1875 GPs in the State have brick and mortar bank branches. The goal of digital payment would not be realised unless banking system is extended to the rural areas. Commercial banks are also not delivering adequate credit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Nandaji. Other speakers are also there.

SHRI PRASHANTA NANDA: To conclude, I request the hon. Minister to definitely answer me and these are the most important things for the fiscal relations between the Centre and the States. It is not happening in all the States. While I am telling about my State, I am also drawing her attention to all the other States. They must be feeling the same.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे विनियोग विधेयक पर बोलने का मौका दिया। हम सभी जानते हैं कि औरतें हर काम को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम देती हैं। माननीय मंत्री महोदया ने इसकी झलक दिखाई। इन्होंने बजट पेश करते समय और जब दोनों सदनों में बजट पर चर्चा हुई, उस समय इन्होंने जब जवाब दिया, तो एक बूंद पानी नहीं पिया और जवाब देती चली गईं, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया को बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

महोदय, माननीय मंत्री जी के बल्कि बही खाते में समाज के हर तबके के लोगों का ख्याल रखा है। इन्होंने देश के हर नागरिक तक शौचालय, बिजली, रसोई, गैस, पानी आदि जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। बजट में एक और जो अच्छी बात है, वह यह है कि अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपने बही खाते में पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का जो provision किया है, वह बहुत ही अच्छी बात है। इनकी तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास किया गया है और 'जन धन खाते' में महिलाओं को 5000 रुपये का ओवरड्राफ्ट देने की जो बात है, यह भी बहुत अच्छी बात है। इससे आधी आबादी को ताकत मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी।

[श्रीमती कहकशां परवीन]

महोदय, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक उत्पाद के सूचनांक में गिरावट आई है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था के भी 'ग्रौथ' की परिकल्पना पर बहुत अच्छे विचार नहीं हैं। इसे अच्छा, संतोषकारी और आराम करने योग्य भी नहीं बताया है। इसके लिए हमें काम करना होगा और उस पर ध्यान भी देना होगा।

महोदय, जब वर्ष 1929 में अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो वह depression में आ गया था और उसने रोजगार बढ़ा कर ही इसका हल ढूंढ़ा। जब उद्योग में गिरावट आएगी, तो रोजगार में गिरावट आएगी और अगर रोजगार में गिरावट आएगी, तो उपभोक्ता में खरीदने की क्षमता घटेगी, उत्पादन में कमी आएगी और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन येन-केन-प्रकारेण वृद्धि भी स्वागत योग्य नहीं है।

महोदय, उद्योग बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा, तो उपभोक्ता में खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो हमारी बेरोजगारी दूर होगी - यह एक चेन है। महोदय, आपने बजट में कृषि के बारे में जो बात कही है, वह सही है। हमारे 70 प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं कृषि पर चलाई हैं। चाहे वह किसान की आय को दोगुनी करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड हो या फिर नीम कोटेड यूरिया की बात हो, कृषि उपकरण बैंक की बात हो या फिर फसल बीमा योजना हो और सबसे अच्छी योजना किसान सम्मान निधि योजना है।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगी कि अभी शुक्रवार को ही कृषि मंत्री जी के जवाब में था कि राज्य सरकार द्वारा जो सूची है, उस सूची में और बैंक की सूची में भिन्नता होने के कारण बहुत से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि जब भी कोई खाता खुलवाने जाता है, तो आधार या फिर अपने पहचान पत्र से ही उनका खाता खुलता है। सरकार अगर कोई सूची बनाती है, तो आधार या पहचान पत्र से ही उसकी सूची बनती है कि विसंगतियां कहां हुईं? इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। अगर हम विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार के पास भेजते हैं, तो अच्छी बात है। यदि इसमें देरी होती है, तो कहीं न कहीं किसान इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देना होगा।

महोदय, मेरा सुझाव यह है कि यदि हम आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ाएंगे, तो इससे लोगों की बेरोजगारी दूर होगी और समस्या का भी निदान होगा। इससे औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की स्थिति सुधरेगी। हम रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट में गिरावट का फायदा बैंक कस्टमर तक पहुंचाएं और सरकार इसे सुनिश्चित करे। आरबीआई जब अपना रेपो रेट घटाता है, लेकिन जब बैंक उसी अनुपात में ग्राहकों को उसका लाभ नहीं देता है, तो यह सरासर बेईमानी है, यह उनके साथ अन्याय है, इसको दूर करने की जरुरत है। कृषि के बजट को आपने बढ़ाया है, यह स्वागत योग्य है, लेकिन उसका लाभ किसानों तक सही वक्त पर पहुंचे, इसको आप सुनिश्चित करें और इस संबंध में जवाबदेही भी तय करें। एक तरफ सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण और उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है- चाहे वे सामाजिक हों, शैक्षणिक हों या स्वास्थ्य से संबंधित हों- सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बना रही है। मेरा यह

कहना है कि जो निर्भया फंड बनाया गया है, वह खर्च नहीं हो पा रहा है, इसके लिए भी जवाबदेही तय करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار)** : آپ سبھاپتی مہودے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے وتیوگ ودھینک پر بولنے کا موقع دیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عورتیں ہر کام کو بہت اچھے ڈھنگ سے انجام دیتی ہیں۔ مانئے منتری مہودیہ نے اس کی جھلک دکھائی۔ انہوں نے بجٹ پیش کرتے وقت اور جب دونوں سدنوں میں بجٹ پر چرچا ہوئی، اس وقت انہوں نے جب جواب دیا، تو ایک بوند پانی نہیں پیا اور جواب دیتی چلی گئیں، جس کے لئے میں مانئے منتری مہودیہ کو بہت بہت بدھائی دیتی ہوں۔

مہودے، انہوں نے نہ صرف بجٹ میں، بلکہ بہی-کھاتے میں سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے دیش کے ہر ناگرک تک شوچالیے، بجلی، رسوئی، گیس، پانی وغیرہ جیسی سویدھائیں مہیّا کرانے کا کام کیا ہے۔ بجٹ میں ایک اور جو اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ارتھ-ویوستھا کو پاردرشی اور سرل بنانے کے لئے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کے لئے اپنے بہی کھاتے میں پین کارڈ کی جگہ آدھار کارڈ کا جو پرووژن کیا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے۔

ان کی طرف سے مہیلاؤں کو آتم-نربھر بنانے کا جو پریاس کیا گیا ہے اور 'جن دھن کھاتہ' میں مہیلاؤں کو جو پانچ ہزار روپے کا اوور ڈرافٹ دینے کی جو بات ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس سے آدھی آبادی کو طاقت ملے گی اور وہ آتم-نربھر بنیں گی۔

مہودے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اودھیوگک اتپاد کے سوچکانک میں گراوٹ آئی ہے۔ وشو بینک اور انتر راشٹریہ مدرا کوش جیسی سنستھا کے بھی 'گروتھ' کے پریکلپنا پر بہت اچھے وچار نہیں ہیں۔ اسے اچھا سنتوش کاری اور آرام کرنے یوگیہ بھی نہیں بتایا ہے۔ اس کے لئے ہمیں کام کرنا ہوگا اور اس پر دھیان بھی دینا ہوگا۔

†Transliteration in Urdu Script.

[श्रीमती कहकशां परवीन]

مہودے، جب سال 1929 میں امریکہ مندی کے دور سے گزر رہا تھا، تو وہ ڈپریشن میں آ گیا تھا اور اس نے روزگار بڑھا کر ہی اس کا حل ڈھونڈھا۔ جب ادھیوگ میں گراوٹ آئے گی، تو روزگار میں گراوٹ آئے گی اور اگر روزگار میں گراوٹ آئے گی، تو اُپبھوکتا میں خریدنے کی شمتا گھٹے گی، اتپادن میں کمی آئے گی اور پھر بیروزگاری بڑھے گی، لیکن بین-کین-پرکارین وردھی بھی سوانگت ہوگئے نہیں ہے۔

مہودے، ادھیوگ بڑھے گا، تو روزگار بڑھے گا اور روزگار بڑھے گا، تو اپبھوکتا میں خریدنے کی شمتا بڑھے گی، اتپادن میں وردھی ہوگی، تو ہماری بیروزگاری دور ہوگی — یہ ایک شعر ہے۔ مہودے، آپ نے بجٹ میں کرشی کے بارے میں جو بات کہی ہے، وہ صحیح ہے۔ ہمارے ستر فیصد لوگ کرشی پر ہی نربھر کرتے ہیں اور سرکار نے بہت ساری یوجنائیں کرشی پر چلائی ہیں۔ چاہے وہ کسان کی آئے کو دوگنا کرنے کے لئے سوائل ہیلتھ کارڈ ہو یا پھر نیم کوٹڈ یوریا کی بات ہو، کرشی اپکرن بینک کی بات ہو یا پھر فصل بیمہ یوجنا ہو اور سب سے اچھی یوجنا کسان سمّان ندھی یوجنا ہے۔

مہودے، میں آپ کا دھیان اس طرف آکرشت کرنا چاہوں گی کہ ابھی جمعہ کو ہی ایک منتری جی کے جواب میں تھا کہ راجیہ سرکار کے ذریعے جو سوچی ہے، اس سوچی میں اور بینک کی سوچی میں بھنّتا ہونے کے کارن بہت سے کسانوں کو اس کا لابھ نہیں مل پایا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کھاتا کھلوائے جاتا ہے، تو آدھار یا پھر اپنے پہچان-پتر سے ہی ان کا کھاتہ کھلتا ہے۔ سرکار اگر کوئی سوچی بناتی ہے، تو آدھار یا پہچان پتر میں ہی اس کی سوچی بنتی ہے کہ وسنگتیاں کہاں ہوئیں؟ ان وسنگتیوں کو دور کرنے کے لئے جوابدہی طے کرنی ہوگی۔ اگر ہم وسنگتیوں کو دور کرنے کے لئے راجیہ سرکار کے پاس بھیجتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اگر اس میں دیری

ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں کسان اس کا لابھ لینے سے ونچت رہ جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں دھیان دینا ہوگا۔

مہودے، میرا سجھاؤ یہ ہے کہ اگر ہم آدھاربھوت سنرچنا میں نویش کو بڑھائیں گے، تو اس سے لوگوں کی بیروزگاری دور ہوگی اور سمسیہ کا بھی ندان ہوگا۔ اس سے اودھیوگک اتپاد سوچکانک کی استتھی سدھرے گی۔ ہم ریپو ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ ریپو ریٹ میں گراوٹ کا فائدہ بینک کسٹمر تک پہنچائیں اور سرکار اسے سنشچت کرے۔ آربی آئی جب اپنا ریپو ریٹ گھٹاتا ہے، لیکن جب بینک اسی انوپات میں گراہکوں کو اس کا لابھ نہیں دیتا ہے، تو یہ سراسر بے ایمانی ہے، یہ ان کے ساتھ انیائے ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کرشی کی آئے کو آپ نے بڑھایا ہے، یہ سواگت کے لائق ہے، لیکن اس کا لابھ کسانوں تک صحیح وقت پر پہنچے، اس کو آپ سونکشِت کریں اوراس سمبندھ میں جوابدہی بھی طے کریں۔ ایک طرف سرکار مہیلاؤں اور بچوں کے کلیان اور اتتھان کے لیے بہت ساری یوجنائیں بنارہی ہے۔ چاہے وہ ساماجِک ہوں، شیکشنِک ہوں یا سواستھ سے سمبندھت ہوں۔ سرکار انہیں آتم نربھر بنانے کے لیے یوجنائیں بنارہی ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جو نربھیا فنڈ بنایا گیا ہے، وہ خرچ نہیں ہوپارہا ہے، اس کے لیے بھی جواب دہی طے کریں۔ آپ نے نے مجھے بولنے کا موقعہ دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Respected Deputy Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on these Bills.

The respected Finance Minister reminded us the famous quote of Mahatma Gandhi, the soul of India lives in the villages.

Madam also stressed that focus गांव, गरीब और किसान पर रहता है। Sir, they as usual say that they have formulated many schemes in the recent Budget. But, emphasis is missing on doubling the fanners' income. Sir, India is a country of small and marginal farmers and large number of holdings belongs to small and marginal farmers who have land below two hectares. Sir, they constitute 85.01 per cent of the total holdings in the country. Sir, again out of those who have below four hectares of land is 95.05 per cent of the total number of farmers. We (do not have any integrated agricultural policy for the country as of today. After more than seven decades of

[Dr. Banda Prakash]

independence, we are still searching for some policy-making for the agriculture. Sir, people have given the Government a landslide victory in the last elections. So, they should definitely think about the agriculture because more than 65 per cent of the total population of the country is directly or indirectly dependent on agriculture. Therefore, I request the Government to kindly make an integrated policy for the agricultural sector. Sir, another important issue I wish to draw your consideration is water; water for irrigation and drinking purposes. As of now, more than 62.82 per cent people are using only tube wells and other wells. The water is not available from canals systems. Sir, Government, it is to be brought to your notice fhat canals are serving only 23.43 per cent of net irrigated area. There are abundant resources of water in the country. There are 14 major, 55 minor and more than 700 small rivers in the country. Sir, our average rainfall is 1,170 mm. We are taking the message of conservation of water across the country. The crisis of the water can be avoided by conservation of water. Sir, the Hon'ble Minister and the NITI Aayog also said last time that 40 per cent of Indians will have no access to drinking water by the year 2030. Therefore, I request the Hon'ble Minister that priority should be given to water for agriculture. Furthermore, even in agricultural policy formulations, priority should be given for marketing and procurement policies of the country. Sir, 1 wish to bring it to the notice of the House that the Telangana Government, which had been formed five years back, has taken many suitable and required measures to protect the agriculturists. In Telangana State, we have started a programme called Mission Kakatiya, which is a water conservation programme. Secondly, we have started the repair and renovation of 46000 tanks of the Telangana State. We are doing all these things phase-wise manner. The NITI Aayog has recommended ₹ 5,000 crores for Mission Kakatiya. But as of now, we did not get a single pie from the Government of India till date. Sir, it is to be noted that in our State, we are providing 24-hour free power to all agriculturists of Telangana State; in addition, we are giving 24-hour power to all houses. We are also giving 24-hour power to industries, thus, in each and every sector, we are giving 24-hour power supply. Sir, a simple question arises as to why we are unable to give 24-hour power in the country? We are have to search for how to give 24-hour power to all the people of throughout the country. Even in Delhi, when we were there for attending important functions, there is power-cut and this is a common issue even at our residence as well. Sir, power keeps on going and coming in Delhi very frequently. Sir, I wish to state the fact that in the National Capital Territory of Delhi, we are not getting 24-hour power supply, while,

on the other hand, all the villages in the State of Telangana are getting 24- hour power supply, and further our Telangana State is also giving 24-hour free power to agriculturists as our Government is support and commitment towards the farmers. Within a span of four years, we have constructed godowns with 19.5 metric tons of capacity. Earlier, we had only 4 metric tons capacity or so in godowns. But, now, we have godowns with a capacity of 23.5 metric tons. We are providing all our farmers access to fertilizers and seeds. We have initiated the Rythu Bandhu programme also. Initially, it was started with ₹ 4,000 per acre. Now, we have given a total of ₹ 8,000 per acre in two instalments to the agriculturists. Recently, this has further been enhanced to ₹ 10,000 per year. Every year, we are paying ₹ 10,000 per acre to the agriculturists. Sir, the Government also started the Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana where the Union Government is giving ₹ 2,000 thrice. Sir, the Government may implement such schemes at the national level but where the States are already giving the amount to the agriculturists or the farmers, instead of starting new programmes, if the Government just reimburse the amount to the States, definitely, it will be helpful for the States to focus on other programmes for the welfare of the farmers. Instead of again starting other identical programmes, this should be done. We in Telangana State have started this programme, Kerala started, Bengal also started and, now, Chhattisgarh is also going on the same lines. Instead of launching new programmes, it is appropriate that the Government should support the existing programmes already launched in the States. Sir, it is to be retreated that the entire country is one and the money is coming from the States. The major souree of revenue is the States. In view of the above, why are you starting new programmes instead of supporting the programmes which are already there? On water, we started a programme, Mission Bhagiratha. आप तो 2024 तक हरेक घर को नल से जल का स्लोगन दे रहे हैं और हम complete कर रहे हैं, हरेक घर, नल से जल। That is Mission Bhagiratha. It is an ambitious programme which we have started and we are now in the mid-way. Our Hon'ble Prime Minister has inaugurated the programme in Telangana State at Gajwel. Sir, now, it is going to be completed soon as, 95 per cent of the work is complete. This is totally filtered water, totally safe drinking water and good quality water that we are providing to the people. Sir, the NITI Aayog recommended for giving around ₹ 19,500 crorcs for that programme, but आज तक एक पैसा भी नहीं आया है। They don't want to recognize Mission Bhagiratha, and they want to start new programmes. At least you compensate our... *(Time-bell rings)* सर benches खाली हैं, थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति : इसीलिए आप दो मिनट से अधिक समय बोल चुके हैं।

DR. BANDA PRAKASH: My request to the Government is to compensate that amount. Please accept the Mission Bhagiratha programme and immediately release, at least, ₹ 20,000 crore. Our Government is not only helping the farmers through the Rythu Bandhu scheme, it is also giving Rythu Birna Scheme. Under this scheme, within fifteen days of either natural death or accidental death of any farmer, ₹ 5.00 lakhs will be deposited in his bank account. Everything is insured. Sir, the Government also intended to start the pension scheme for 18 to 40 years of age. That is 'also voluntary and contributory. Without any contribution, the Telangana Government is giving ₹ 2,000/- to persons above 57 years of age.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

Shri C.M. RAMESH (Karnataka): Sir, Principal Opposition party is not there. Other opposition parties want to speak. So, please give some more time.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: I have already given him more time.

Dr. BANDA PRAKASH: To the physically challenged people, we are paying ₹ 3,016. As far as pension to elderly people, widows, single women, toddy tappers, textile workers is concerned, we are giving them ₹ 2,016.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Banda Prakash ji.

DR. BANDA PRAKASH: While you are announcing the new programmes, I request the Finance Minister to please study the existing programmes. If these programmes are good...

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I have to call the next speaker.

Dr. BANDA PRAKASH: If the programmes are reaching the people, kindly give financial assistance from the Centre. Finally, Sir, I have to make two points.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: Please make last point. You have already taken three minutes more.

Dr. BANDA PRAKASH: Once again, I request the Minister, the Government...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken four minutes extra.

Dr. BANDA PRAKASH: Sir, the Government always says that they are aware of the cooperative federalism. Two days back, our hon. Minister...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You have taken four- minutes more.

Dr. BANDA PRAKASH: I am concluding. Hon. Minister also said that we are aware of the recommendations of the NITI Aayog. In words they are saying so, but, in practice, it is going in reverse direction. I request you to please consider the NIT1 Aayog's recommendations. What is the revenue that they are mobilising from States? Definitely, more share should be given to the States. Even while imposing cess...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please conclude. अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

Dr. BANDA PRAKASH: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next is Shri K. Sornaprasad, not present; Shri K.K. Ragesh, not present; Shri T.K.S. Elangovan, not present; Shri Vijayasai Reddy, not present; Shri Veer Singh, not present; Shri Binoy Viswam, not present. Shri Narain Dass Gupta; not present. Shri Bhupender Yadav; not present. Dr. Anil Jain.

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं इस वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त विधेयक पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिए हैं। उन्होंने इस देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था से गरीबों का कल्याण हो सके और इस आर्थिक व्यवस्था से देश का दुनिया में सम्मान हो सके, इस प्रकार के अमेंडमेंट्स लाकर देश के व्यापारियों के लिए, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से सहज और सरल हो सके, इसका ध्यान इस वित्त विधेयक में रखा है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृतव में जिस प्रकार से पांच साल सरकार चली, सरकार चलाने में सबका साथ, सबका विकास तो था ही, लेकिन इस सरकार ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासन युक्त सरकार चलाई, इसके कारण से ही जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया और हम फिर से 303 सीटें पाकर दोबारा से इस सरकार को चलाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं।

उपसभापति महोदय, वित्तीय मामलों में जिस प्रकार की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने का काम इस विधेयक में किया गया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए साधुवाद

* Not Recorded

[डा. अनिल जैन]

देता हूं। इसके साथ-साथ देश का खजाना कैसे बढ़े-देश का खजाना बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तभी कल्याणकारी योजनाएं लागू हो पाएंगी, कल्याणकारी योजनाएं तभी जन-जन तक पहुंच पाएंगी, इनसे ही जन का कल्याण होगा, इस पकार की व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने विभिन्न संशोधनों के माध्यम से इस वित्त विधेयक में की है। मैं एक-एक करके उन पर अपनी बात रखूंगा।

उपसभापति जी, आयुष्मान भारत, हाउसिंग फॉर ऑल, उज्ज्वला योजना, हर घर में शौचालय, इस प्रकार की योजनाएं सफल हुई हैं, क्योकि इनमें लाखों-करोड़ रुपये का निवेश जनता के कल्याण के लिए किया गया है। इनके लिए निवेश को जुटाने की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इसकी चिंता वित्त विधेयक में माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। देश का आर्थिक वातावरण - मध्यम वर्ग, जो किसानों के बाद सबसे बड़ा वर्ग है, जो MSME है, वह रोजगार का साधन उपलब्ध कराता है। MSME में किस प्रकार की छूट दी जाए, किस प्रकार से MSME के छोटे व्यापारियों को व्यापार करने की सुविधा मिल सके और कैसे वे अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकें, चाहे वह इन्कम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे जीएसटी में सुधार के माध्यम से हो, चाहे जीएसटी में कम्पोजिट स्कीम और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम के माध्यम से हो और जीएसटी के रिटर्न को किस प्रकार सरल तरीके से जमा कराया जा सके, चाहे वह वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक हो, इसमें उनको option भी है, इस प्रकार की व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी में सुधार के माध्यम से की है। इस देश में टैक्स बढ़े, करदाता बढ़े, दोनों प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जिस प्रकार का वातावरण पिछले पांच साल में बनाया गया, उसी का परिणाम है कि टैक्स में 78 परसेंट का इजाफा हुआ है और 78 परसेंट डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है।

[**उपसभापति (डा. सत्यनारायण जटिया)** *पीठासीन हुए*]

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारी वित्त मंत्री जी ने भिन्न-भिन्न कानूनों में परिवर्तन किए हैं, उससे भिन्न-भिन्न एजेंसीज़ को शक्ति देने का काम किया है कि कैसे काले धन पर रोक लग सकती है, काले धन के कानूनों में सुधार किए गए हैं। काले धन की कैसे उत्पत्ति होती थी, उस काले धन की उत्पत्ति की जड़ पर प्रहार करने का काम उन्होंने किया है और मैं डिटेल में इसकी बात करता हूं। मान्यवर, लेकिन साथ में Central Road Infrastructure Fund, 2000 में सुधार करते हुए जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे अन्तरराज्यीय आर्थिक महत्व की सड़क परियोजनाओं की मदद मिलेगी। Payment Settlement Act, 2007 में संशोधन करते हुए प्रावधान किए गए हैं कि electronic mode of payment करने पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। भारत digital India कैसे बन सकता है, देश में digital आर्थिक व्यवस्था कैसे हो सकती है तथा देश में digital economy को गति देने के लिए यह एक बड़ा सुधार किया गया है। इसके साथ-साथ जो लोग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का withdrawal

cash में करते हैं, ऐसे लोगों पर 2 परसेंट का TDS लगाया गया है। इसे लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा digital form में transactions हों। Digital form में transctions से देश में पारदर्शिता आती है और cashless economy की तरफ देश बढ़ता है और देश में आर्थिक सुधार होते हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी ने जो 2 परसेंट TDS लगाने का प्रावधान किया है, यह देश को digital economy बनाने में मददगार होगा।

मान्यवर, तमाम सुधार जो किए गए हैं, मैं उन सबकी डिटेल्स में तो नहीं जाता, लेकिन जिस प्रकार से taxpayers को सुविधा देने का काम किया गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। Taxpayers की 5 लाख रुपए तक की income पर कोई tax नहीं है। यदि सही प्रकार से वित्तीय प्रबंधन किया जाता है, तो सही मायने में साढ़े 12 लाख रुपए तक की इन्कम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वह इस प्रकार है- 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इन्कम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वह इस प्रकार है 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इन्कम, 3 लाख 50 हजार रुपए तक एफोर्डेबल हाउसिंग की इंटरेस्ट की इन्कम, डेढ़ लाख रुपए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर जो टैक्स लगता है, वह बचेगा, डेढ़ लाख रुपए NPS के और 50 हजार रुपए मेडिक्लेम के, इस प्रकार से करीब-करीब साढ़े 12 लाख रुपए तक की इन्कम पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यह तब है जब कोई इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन करे। इस प्रकार मैं कह सकता हूं साढ़े 12 लाख रुपए तक की इन्कम पर कोई टैक्स नहीं है। इस तरह की योजना वित्त मंत्री जी ने देश के लोगों के सामने रखी है। इससे मध्यम वर्ग, MSME के क्षेत्र के लोग, टैक्स बचा सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं, ऐसे लोगों को बहुत राहत मिली है।

मान्यवर, जिस प्रकार से पहले TDS, gross payment पर लगता था, अब खाली जो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्कम पोर्शन है, उसी पर टैक्स लिया गया है। इस प्रकार की सुविधाएं हमारे वित्त मंत्री ने दी हैं। पहले जो 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनियां आती थीं, उन पर 25 परसेंट टैक्स लगता था, लेकिन अब इस विधेयक में जो संशोधन किया गया है, उसके बाद 400 करोड़ रुपए टर्नओवर तक की कंपनियां इसमें समाहित होंगी, अर्थात् देश में 99.3 परसेंट कंपनियां इस कानून के तहत समाहित हो जाएंगी। कुल मिलाकर 0.7 परसेंट कंपनियां बचती हैं, जो इस कानून के तहत नहीं आतीं। यह एक बहुत बड़ा रिलीफ 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर की कंपनियों को दिया गया है।

महोदय, इस प्रकार से कई प्रकार के टैक्स सुधार किए गए हैं। मैंने आपके समक्ष digital economy की बात कही। अब मैं fight against black money के बारे में बताना चाहता हूं। मैं ब्लैक मनी पर विस्तृत रूप से बात करने से पहले, किस प्रकार से स्टार्टअप्स के लिए एजेंल टैक्स की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया गया है, उस बारे में बताना चाहता हूं। स्टार्टअप्स को स्क्रूटिनी और इन्क्वारी से छूट दी गई है। जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, उन्हें सैक्शन 79 में, पहले उन्होंने प्रॉफिट दिया है और अगले साल यदि लॉस

[डा. अनिल जैन]

इन्कर होता है, तो वे से कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। इस प्रकार से देखा जाए, तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए यह वरदान सिद्ध होगा और इससे स्टार्टअप्स फ्लरिश कर सकते हैं।

मान्यवर, मेक इन इंडिया योजना के अन्तर्गत जो कंपनियां देश में काम करती हैं, उन्हें तमाम तरह की छूट दी गई है। मैं इस बारे में प्रमुख रूप से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। इसमें किस प्रकार से लैवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है- जो सामान हिन्दुस्तान में बनता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है और जो सामान हिन्दुस्तान में नहीं बनता है और उसे यदि बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई है, जिससे लैवल प्लेइंग फील्ड बन सके। इससे हिंदुस्तान के उद्योगपतियों, 'Make In India' में काम करने वाले लोगों को दुनिया के साथ compete करने का मौका मिल सकता है। और तो और जो बिल्कुल ही बाहर से चीजें आती हैं, उनमें costom duty को हटाने का काम भी 'Make In India' के तहत किया गया है। इस प्रकार से यह level palying field बनाई गई है।

मान्यवर, अब मैं black money वाले विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। देश में ब्लैक मनी generate न हो और अगर कोई generate करता है, तो देश के प्रधान मंत्री ने अपने इलेक्शन के भाषणों में सारे देश को आगाह किया है कि अब देश में 2014से 2019 तक, जिन्होंने देश में बेईमानी की है, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, वे अब बख्शे नहीं जाएंगे। वे जेल के मुहाने तक पहुंच गए हैं, अब एक कानूनी धक्का देंगे, तो जेल के अंदर जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधान इस बजट में, इस वित्तीय विधेयक में भी किए गए हैं।

सर, अब वे चले गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुन तो रहे होंगे। यहां से देश तो देख ही रहा है कि किस प्रकार से काम हुए हैं। जो बेनामी संपत्ति का कानून है, मैं उस बेनामी संपत्ति के कानून के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। मान्यवर, देश में बहुत भ्रष्टाचार था और तत्कालीन सरकारों ने तमाम तरह की कमेटियां बनाने का काम किया था। 1980 में Law Commission की 57वीं रिपोर्ट में कहा गया था कि इस देश में बेनामी संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए, इसके खिलाफ कोई कानून लाना चाहिए। बेनामी संपत्ति के कानून के अंतर्गत 1980 में इस कानून को लाने की बात हुई थी, लेकिन यह कानून 1980 से आया नहीं था, तत्कालीन सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया था। CBDT ने, तमाम सारी संस्थाओं ने इस पर काम करने की बात कही थी, लेकिन सरकारों ने इस पर काम नहीं किया।

मान्यवर, 1988 में देश में एक घटना हुई। देश में जो तत्कालीन प्रधान मंत्री थे, उनके एक मंत्री ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। देश में बोफोर्स के नाम पर 1988 में इस्तीफा

दे दिया गया था। उन्होंने इस्तीफा देकर अपने ही प्रधान मंत्री को कटघरे में खड़ा किया था। सारे देश ने और सारी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से बोफोर्स के मामले में, उस समय के एक मंत्री ने अपने प्रधान मंत्री के खिलाफ झंडा खड़ा किया था। इसको सारी दुनिया ने देखा था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? यह जो बताया गया कि बोफोर्स ने कुछ नहीं किया, उस समय की पार्टी ने कुछ नहीं किया, उस समय की सरकार ने कुछ नहीं किया, उस समय के उस मंत्री ने कुछ नहीं किया, तो फिर घोटाला किसने किया? जिसने घोटाला किया, बाद में पकड़ा गया, लेकिन इन लोगों ने उस घोटोलेबाज़ को यहां से किस प्रकार से free access दी। कानून द्वारा उसे भगाने की, उसके पैसे निकलवाने की, सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का काम किसने किया? उसी 1988 में, जब यह लगा कि सारे देश में बवंडर खड़ा किया या है, तब उस समय की तत्कालीन सरकार ने बेनामी संपत्ति का कानून लाने का काम किया था। वह इस वास्ते किया था कि अब जल्दी से कानून लाए, लेकिन 1988 में कानून लाने के बावजूद भी 2014 तक इस कानून का notification नहीं होने दिया। इसका नोटिफिकेशन तक नहीं हो पाया, क्योंकि वे जिस पुतले की सरकारें चला रहे थे, जिस तरह की coalition government चला रहे थे - उन 26 सालों में, अटल जी के 6 साल छोड़ दीजिए, बीस साल उनकी सरकारें रहीं, उन्होंने यह कानून नहीं आने दिया, क्योंकि किसी की तेरह सौ गुणा संपत्ति हो गई - अभी दो-तीन दिन पहले ही एक पार्टी के नेता की 4 सौ करोड़ की संपत्ति हो गई अभी दो-तीन दिन पहले ही एक पार्टी के नेता की 4 सौ करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। हम सबको पता है कि किस प्रकार की पार्टियां चली हैं।

मान्यवर, चाहे riverfront के घोटाले हां, चाहे Taj Corridor के घोटाले हों, चाहे park बनाने के घोटाले हों, इन्होंने घोटालेबाजों के साथ सरकारें चलाई थीं। इस कारण इन्होंने इस बेनामी संपत्ति के कानून को पास नहीं होने दिया।

मान्यवर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो दूसरा मामला था, हमारी सरकार ने बेनामी सम्पत्ति के इस कानून को बनाया भी है, कड़ा भी किया है और बेनामी सम्पत्तियां जब्त भी की जा रही हैं। भ्रष्टाचार और काले धन के इस भण्डार को इस सरकार ने नेस्तनाबूद करने की ठानी है। हमारी वित्त मंत्री जी ने इसके लिए बड़े सख्त नियम बनाए हैं और इसमें बड़े संशोधन आए हैं।

मान्यवर, एक दूसरा मामला, जो black money पर कुठाराघात करता है, वह PMLA है। PMLA क्या है Prevention of Money Laundering Act. जो Money Laundering Act है, इसके तहत पहले इस देश में कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले ऐसा होता था कि कभी ED छापा मार रहा है, कभी DRI का छापा है, कभी Income Tax का छापा है, कभी Financial Intelligence Wing का छापा है। एजेंसियां आपस में बात नहीं करती थीं और इनके loopholes में से लोग निकल जाते थे। Loophole निकाल कर लोग इनसे बरी हो

[डा. अनिल जैन]

जाते थे। हमारी सरकार ने PMLA में सख्त कानून बनाने का काम किया है और inter-agency, inter-departmental और inter-Ministerial, यह व्यवस्था की है, जिससे कोई बच कर नहीं निकल सकता। अब information सब जगह travel हो जाएगी और ये बच कर नहीं निकल सकते। इस देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने PMLA में इतना सख्त कानून बनाया है। इस PMLA कानून के तहत terror funding में, इस PMLA कानून के तहत बेनामी सम्पत्ति में शारदा घोटाले, रोज़ वैली घोटाले जैसे इन तमाम घोटालों के पैसे इसमें आते थे, इन पर अब ये सारी एजेंसीज़ मिल कर कुठाराघात करेंगी। देश में black money generate नहीं होने दी जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, अब जो अघोषित आय...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आप समाप्त कीजिए।

डा. अनिल जैन : मान्यवर, अभी कहां, मेरा तो 20 मिनट का समय है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आपको 15 मिनट दिए गए हैं।

डा. अनिल जैन : मान्यवर, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं। Black money generate करने के विरुद्ध किस प्रकार से देश और विदेश में black money के तहत इस सरकार ने कैसे कड़े कानून किए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। अब तक केवल भारतीयों को black money के तहत penalize किया जाता था, लेकिन इस सरकार ने Resident Indians और NRIs, दोनों पर, जो Income Tax के नियम के तहत आते हैं, उन पर यह नियम लागू होगा, यह तय किया है।

दूसरी बात, black money कैसे generate होती थी? Black money generate होने के तमाम तरीके थे। 1972 में वांचू कमिटी बनी थी। वांचू कमिटी ने देश में तत्कालीन प्रधान मंत्री को रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने इस कमिटी पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि देश में rampant corruption था, लोग corruption की बात करते थे, तब यह वांचू कमिटी आई। वांचू कमिटी के बाद चोपड़ा कमिटी आई, चौपड़ा कमिटी के बाद पार्थसारथी कमिटी आई, पार्थसारथी कमिटी के बाद राजा चेलेंया कमिटी आई। कमिटी पर कमिटी, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकारों ने black money के खिलाफ और जो विदेशों में black money अर्जित करके रखते थे, क्योंकि इनके भी पैसे वहां जाते थे, इनके भी पैसे बचाए जाते थे, इसलिए उन सरकारों ने black money के खिलाफ उस समय कोई काम नहीं किया।

मान्यवर, 2008 में तत्कालीन सरकार ने Security Transaction Tax (STT) और Commodity Transation Tax लगाए। जो Commodity Transaction Tax है, Commodity exchange को बचाने के लिए 2012 में लक्ष्मण दास जी, जो CBDT के चेयरमैन थे, उन्होंने commodity tax नहीं लगाने के लिए कहा, क्योंकि इससे commodity exchange बंद हो जाएगा। चूंकि commodity exchange से मोटी कमाई कहीं न कहीं इन लोगों के पास जाती थी, इसलिए

4.00 P.M.

CTT को इन्होंने लागू ही नहीं किया। पास होने के बाद भी CTT लागू नहीं हुआ। ये black money generate करने के तरीके थे।

मान्यवर, black money generate करने के तरीके में P-Notes (Participatory Notes) एक तरीका था, जिनका कोई ब्यौरा नहीं होता था। 2007 में FDI का 55 परसेंट पैसा P-Notes के through था। और 2017 तक यह 55% से 4% पर आ गया है, क्योंकि इस सरकार ने पारदर्शिता का काम किया है। KYC के through, Participatory notes को रोकने का काम किया गया है। मान्यवर, FDI बढ़ा है, FDI कम नहीं हुआ है, लेकिन P-Notes कम हुए हैं। Black money generate करने का जो तरीका था, इन लोगों ने देश और विदेश के माध्यम से, विदेशी कंपनियों के माध्यम से जो काम किया था, उसे सारा सदन जानता है। एक बार 2007 में, तत्कालीन वित्त मंत्री ने किस प्रकार से P-Notes के बारे में कुछ बात कही, जिससे सारी share market crash कर गई। एक घंटा stock exchange बंद रहा था, वह crash कर गया था। उसके बाद दोबारा stock exchange को शुरू किया गया और तब तत्कालीन वित्त मंत्री को इस तरह की घोषणा करनी पड़ी थी कि फिर दोबारा P-Notes नहीं हटाए जाएंगे। मान्यवर, इस सरकार ने P-Notes पर सख्त कानून लगा दिए। अब P-Notes केवल 4% है, लेकिन FDI बढ़ा है, FDI कम नहीं हुआ है।

मान्यवर, multi-level marketing और chit fund companies पर यह सरकार तमाम तरह के कानून ला रही है। पहले सारा देश चिल्ला रहा था कि इनके लिए नियम आने चाहिए, कानून आने चाहिए, लेकिन ये लोग कोई नियम और कानून नहीं लेकर आए। हमारी सरकार इस पर भी कानून ला रही है और अब इन पर शिंकजा कसा जा रहा है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे शारदा घोटाला हो, Rose Valley घोटाला हो या कोई और घोटाला हो, Peerless के समय से जो घोटाले चले आ रहे थे, उन पर पहले की सरकार आंख मूंद कर बैठी थी।

मान्यवर, भ्रष्टाचार जेनरेट करने वालों के खिलाफ देश भर में आवाज़ उठती थी। चाहे CBDT हो, चाहे अन्य संस्थाएं हों, सब कहते थे कि realty sector काले धन को लगाने का, काले धन को बनाने का, काले धन को generate करने का एक बहुत बड़ा अड्डा है। पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार, realty soctor में इस तरह के regulations लाई है, जिससे जो गरीबों का पैसा लेकर बैठे हैं, वे किसी कीमत पर भी बख्शे नहीं जाएंगे। वे या तो जेल जाएंगे, नहीं तो गरीबों को उनके मकान दिए जाएंगे।

मान्यवर, realty sector में market rate, circle rae ऐसे अलग-अलग प्रकार के रेट होते थे और किस पर कितना टैक्स जा रहा है, इस बारे में सब घोटालेबाज़ी होती थी। इसमें पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। Realty sector हो या import-export

[डा. अनिल जैन]

में over-invoicing का मुद्दा, सब पर शिकंजा कसा गया है। Import-export में over-invoicing से तमाम पैसे जेनरेट किया जाता था और इस पैसे पर लगाम लगाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया, हमारी वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है।

मान्यवार, वांचू कमेटी ने इस देश में doctors और engineers के एडमिशन के संबंध में एक बात कही थी। मैं भी पेशे से डॉक्टर ही हूं और बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ कर आया हूं। वांचू कमेटी ने 1972 में कहा था कि इस क्षेत्र में करोड़ों रुपये जाते हैं, लेकिन ये आते कहां से हैं? Capitation fee में जो पैसा लगता था, उसके लिए एक नम्बर का पैसा नहीं दिया जाता था। लेकिन हब हमारी सरकार ने NEET के माध्यम से पारदर्शिता लाने का काम किया हे और अब जल्दी ही NMC Bill भी आ रहा है। हमारी सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं कि अब इस प्रकार के घोटाले, घपले और काली कमाई पर लगाम लगाने के बाद में काम बंद हो जाएंगे।

महोदय, मैं बड़ी शिद्दत से एक बात कहना चाहता हूं - 'जहां सुमति तहं संपति नाना'। मेरा निवेदन है कि हमारे विपक्ष के जो लोग मेरी बात को सुन रहे हों, वे सुमति भी रखें, सन्मति भी रखें और सहमति भी रखें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो इस देश में संपत्ति बढ़ जाएगी और जब संपत्ति बढ़ेगी, तो देश का कल्याण होगा, साथ ही हमार आर्थिक व्यवस्था ने जो गति पकड़ी है, वह और भी तेज़ हो जाएगी। अब दुनिया में इसे कोई नहीं रोक सकता है। भारत एक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 'याची देहि याची डोला', हम सब देखेंगे कि आगे आने वाले हमारे ही कार्यकाल में भारत आर्थिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता होगा। इसका पदार्पण अब हो चुका है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Prof. M.V. Rajeev Gowda; not present. Shri P.L. Punia; not present. Dr. T. Subbarami Reddy; not present. Shri P. Chidambaram; not present. Shri G.C. Chandrashekhar; not present. Shri A. Navaneethakrishnan. You have three minutes.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu) : I will abide by it. Sir, before offering my views on this Bill, I may be permitted to quote Pandit Jawaharlal Nehru. I quote, “In order to awaken the people, it is the woman who has to be awakened. Once she is on the move, the family movers, the village moves and the nation also moves.”

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मेरा एक ही Point of Order है। चूंकि इस बिल पर 4 घंटे का समय निर्धारित है, तो अभी जो दल यहां उपस्थित हैं, उनके समय को बढ़ा दें, क्योंकि 4 घंटे की चर्चा का mandate बिल के लिए है। इसलिए समय विभाजन ऐसे कर

दें कि कोई दल अगर बढ़ा कर भी बोलना चाहे, तो आप उसको अनुमति प्रदान करें। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मेरा यह कहना है कि इस पर 4 घंटे की चर्चा है। 4 घंटे की चर्चा का अर्थ यह है कि 4 घंटे में सदन के सभी सदस्य चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है, तो 4 घंटे की चर्चा को पूरा करने के लिए, 4 घंटे के समय का पूरा उपयोग किया जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।...**(व्यवधान)**... इसमें थोड़े समय में आप...**(व्यवधान)**... पहले भी ऐसा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : पार्टी लीडर्स तय कर लें।...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव : जो यहां उपस्थित लीडर्स हैं, वे consensus से तय कर लें।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : समय की कठिनाई नहीं है।...**(व्यवधान)**... जैसा पार्टी के लीडर्स बतायेंगे...**(व्यवधान)**...

डा. के. केशव राव (आन्ध्र प्रदेश) : सर, सबको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव : सभी को दीजिए।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : ठीक है। नवनीतकृष्णन जी, चर्चा जारी रखिए।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, I again would like to quote Pandit Jawaharlal Nehru. I think, this is very important, and I quote, "In order to awaken the people, it is the woman who has to be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves and the nation also moves."

Now, our hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, has presented this Budget and moved this nation in the right direction. This is my humble submission. She has supported the concept of 'Zero Budget Natural Farming.' From her speech, it is very clear. Our nation is an agricultural country, and the hon. Member has rightly pointed out that our land holdings are very, very small. There are two kinds of farming activities. One is, by using the modern agricultural methods; the other is by using the traditional methods. Now, my humble submission would be that the traditional methods must be encouraged by this Government, and wherever it is possible, modern technology can also be made use of because the farmers who are very poor, and who are not capable of engaging the machinery for the cultivating purposes, they can't resort to the modern agricultural methods. They can go back to the traditional methods of cultivation, and if this method of cultivation is found to be useful and if it is found

[Shri A. Navaneethakrishnan]

that it will help in doubling the income of farmers, then, definitely, the Central Government must encourage this method of cultivation. It should also ask all the State Governments to follow the traditional methods of cultivation.

In the Appropriation Bill, there are hundred items under which money can be withdrawn. I am very happy to see it. The first item is, Department of Agriculture and Cooperation. The second item is the Department of Agricultural Research and Education. I put more emphasis on agricultural research. We must go back to our traditional method of agriculture and find out whether it is useful to increase the income of farme₹

Then, with regard to loans, of course, the Government is extending loans to the farmers every year. But, that is not the right way according to me. The farmers must be educated, and they must be made to understand their duties also.

Then, I come to the issue of water. Water is not available. This is the ground reality. In such a situation, what modern techniques can be adopted to save water? Each and every parcel of land must be under cultivation.

Further, I come to the issue of inequality in income and unemployment which is prevailing everywhere throughout the country. More educated youths are available, but, no employment opportunities are available for them. Unfortunately, the Constitution of India does not guarantee employment. It only guarantees no discrimination among equally placed candidates. So, employment is not guaranteed under the Constitution. But, our Constitution guarantees the right to life, that too life with dignity and the Government is taking all steps and there is no doubt about it.

Sir, on the one hand, the public sector units are running at a huge loss, but, on the other hand, disinvestment policy is also pursued. The Government is also planning to raise funds from other countries through sovereign bonds and that is good. I came to know from experts that there is nothing wrong in borrowing money from other countries. But, at the same time, the loss-making public sector undertakings must be dealt with without causing any grief to the local people. For example, there is a proposal to sell Salem Steel Plant to private parties. I am making this statement subject to correction. The local people are opposing the move. The State of Tamil Nadu is also opposing it because with a great difficulty the plant was set up and then activated;

but, now, of course they are not able to run it successfully. The Government has to take a decision. Whenever a public sector undertaking is to be disbanded or privatised, it must be done prudently.

Finally, Sir, my endeavour is very simple. Though our nation is very poor, the economic conditions and other activities are not able to converge in the mainstream. I urge the Central Government to see to it that the rural economy is improved. Thank you, Sir.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity. The hon. Finance Minister is here. I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister three issues, which are very important, in the Finance Bill. The first point is the cash withdrawal tax. Sir, when the cash withdrawal tax was introduced by the then hon. Finance Minister, Shri Chidambaram, it proved to be a deterrent and, subsequently, it was withdrawn. Now, the hon. Finance Minister has re-introduced it in a different form. The cash withdrawals from banks are based on what cash is lying in the bank account. What is credited to the bank account is our own money deposited in the bank. I really don't understand why the hon. Finance Minister would like to tax the withdrawals from the bank. It is neither a revenue nor an expenditure. When it is neither a revenue nor an expenditure, how could cash withdrawals be taxed and brought in the purview of the Finance Bill? This is my first point.

My second point, Sir, is on the filing of return. Under Section 132 of the Income-Tax Act, the original return has to be filed on or before the stipulated time. The filing of the return is mandatory even when there is no taxable income. When there is no taxable income, because of the mandatory obligation cast on the assessee to file the return, people face difficulties. It eventually may not result in the tax revenue. When there is no tax, the levy of penalty, that too an automatic penalty, for not filing of the return is somewhat not acceptable. When the original return is not filed, and subsequently if somebody wants to file a revised return, as per the earlier Act, before this amendment was brought into force, to the best of my knowledge, earlier, it could be filed within one year from the end of the assessment year. That was the original Act. When that was the Act, I really don't understand because if at all some income has escaped assessment, the assessing officer can always issue notice under Section 148 and then thereafter, the original return can be filed in response to the notice under

[Shri V. Vijayasai Reddy]

Section 148 and subsequently, within one year, from the date of original return, a revised return can also be filed. Now that the hon. Finance Minister has brought some amendment in that, it is detrimental to the interest of the assesee. As I told you, automatic penalty is also not acceptable. Coming to some plus points, particularly for Startup companies, originally they were given exemption from angel tax and now it has been extended to Startups submitting the prescribed forms. This is a welcome step. Sir, coming to Section 45 ID, it empowers the RBI over the NBFC and it even empowers RBI to remove certain directors in the interest of the public and in the interest of the depositors or creditors. This is again a welcome step. Under Section 45 ID, even the RBI can appoint a new administrator. This is a welcome step. This is needed so that NBFCs do not run into massive losses which we have seen in the past. Sir, the National Housing Bank (NHB) is both the refinancier and regulator for HFCs. This gives somewhat a conflicting and difficult mandate to NHB. It is a wise decision to return the regulation authority over the housing finance sector from the National Housing Board to the RBI. Coming to another point, Sir, individuals earning an income of more than ₹ 5 crore a year would now pay an effective tax rate of 42.7 per cent and those earning between ₹ 2 crores and five crores would bring their effective tax rate to about 39 per cent. This is a good step as the idea of taxation is the redistribution of wealth. Sir, I would like to make some more suggestions to the hon. Finance Minister. The cess on petrol and diesel will adversely affect the farmers' interests further. So, we want the farmers to have money in their hands. If diesel which goes into their tractors or farm equipments are taxed higher, then the farmers have to spend much more, which will adversely affect the interest of the farmers. Sir, the 25 per cent tax rate which will apply to the companies with annual revenue of ₹ 250 crores will benefit, as per the statistics given by the hon. Finance Minister, 99.3 per cent of 1.5 million companies. My point is, why not hundred per cent? Sir, the ten per cent customs duty on newsprint will hit the small and medium news papers who are already facing huge stress on its finances because of increased costs and depleting advertising revenue, this increase in the customs duty will break their back. Sir, the Finance Bill should further try to broaden the tax base. According to me, on perusal of records, what I could observe was, the gross tax to GDP ratio declined to 10.9 per cent from 11.2 per cent last year because of indirect tax revenues falling short of Budget Estimates by about 16 per cent. India's growth of tax revenues is not in sync with its GDP. These are all the

suggestions which I wanted to make and I hope the hon. Finance Minister, will particularly take care of cash withdrawal tax which is not advisable. It had been introduced but withdrawn, and again they are reintroducing it with a provision for automatic penalty in the case of non-filing of original return at the time of filing of revised return.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : भूपेन्द्र यादव जी।

श्री भूपेन्द्र यादव : सम्मानीय उपसभाध्यक्ष जी, जो फाइनेंसियल बिल लाया गया है, में उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। बजट के प्रावधानों का जो नीतिगत दस्तावेज सरकार ने तैयार किया था, उस नीतिगत दस्तावेज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के जितने भी फाइनेंशियल टैक्स हैं, उनमें अमेंडमेंट करके, उन्हें इसके अनुकूल बनाया जाना चाहिए। सरकार ने देश के विकास के लिए अपने बजट का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया, उसके अनुरूप ही टैक्स के कानूनों में जो परिवर्तन लाए गए हैं और जो प्रावधान निश्चित किए गए हैं, उन्हें इस फाइनेंसियल बिल में लाया गया है। जब हम सदन में फाइनेंसियल बिल पर चर्चा करते हैं, तो केवल फाइनेंसियल बिल में टैक्स प्रावधानों के संबंध में नहीं, बल्कि विगत पांच वर्षों में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, सरकार ने देश के आर्थिक विकास का जो लक्ष्य लय किया है और आर्थिक विकास में सरकार ने अभी तक जो पड़ाव हासिल किए हैं, उन पर हम आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, इसका विश्लेषण भी करते हैं और इसका एक रास्ता इस फाइनेंसियल बिल के माध्यम से तय किया गया है। महोदय, मैं एक विषय यह कहना चाहता हूं कि देश के बजट में भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी और माननीय वित्त मंत्री जी के संबोधन में भी न्यू इंडिया की कल्पना की गई है। कुछ दिनों पहले जब सदन में चर्चा हुई थी, तो सामने विपक्ष यह कहता था कि आप यह न्यू इंडिया का concept कहां से लेकर आए हैं, लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने भी आज़ादी के आंदोलन में नवजीवन, नव भारत और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। न्यू इंडिया का अर्थ स्वामी विवेकानन्द ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने नई सदी के अनुकूल भारत की रचना के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया था। इस बार के बजट में सरकार का जो नीति दस्तावेज आया है और विगत पांच वर्षों में भी सरकार ने जो नीतिगत विषय बनाए हैं, उसमें बताया गया है कि बजट केवल फाइनेंशियल चीजों का re-disbursement मात्र नहीं है, बल्कि देश को ग्रोथ के रास्ते पर हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए बजट निर्धारित किया था। बजट की चार बातों को विशेष रूप से देखा जाए, जो इस बजट के अंतर्गत थीं, उन्हीं के लिए फाइनेंसियल बिल में कुछ प्रावधानों को रखा गया है। महोदय, मैं उन चारों बातों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। पहला, देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक विषय है कि निवेश कैसे बढ़ाए जाए? क्योंकि देश के विकास की आवश्यकताएं निवेश के माध्यम से तय होती हैं। दूसरा, अगर हम देश में निवेश को बढ़ाना

[श्री भूपेन्द्र यादव]

चाहते हैं, तो उस निवेश के अनुकूल हम कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं? वह क्षमता निर्माण चाहे आधारभूत संरचना का विकास हो, देश की पॉलिसी में परिवर्तन हो, देश के legislation में परिवर्तन हो, देश में नई व्यवस्थाएं खड़ी करने की बात हो। इसके लिए देखना होगा कि investment के साथ-साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उस कैपेसिटी बिल्डिंग को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं? इसके लिए बजट में, इस फाइनेंस बिल में सबसे पहले इस बात का प्रयास किया गया है, चाहे करदाताओं का विषय हो, चाहे डिजिटल इकोनॉमी के संबंध में विषय हो, चाहे जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन करने का विषय हो, चाहे कस्टम के संबंध में सरकार के द्वारा कानून परिवर्तन करने का विषय हो, चाहे देश में 16 करोड़ रुपए के निवेश के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग बिज़नेस के पैमानों को तय करने का विषय हो, फाइनेंसियल बिल में जो आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, ये सब देश में निवेश को बढ़ाने के लिए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के काफी प्रयास किए गए। चाहे राजमार्गों के निर्माण का विषय हो, चाहे गांव में विद्युतीकरण का विषय हो, इन आधारभूत संरचनाओं का विकास किया ही गया है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए देश में उन कानूनों को भी लाया गया, जिनके कारण हमारा देश ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आगे गया। देश में जीएसटी जैसा कानून पिछले एक कार्यकाल में आया। देश में insolvency और bankruptcy जैसा कानून पिछले एक कार्यकाल में आया। हमने इस बजट में निवेश और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ-साथ देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए इस बात का भी ध्यान दिया गया है कि नई प्रौद्योगिकी, जो न्यू technology है, उस technology को हम देश के विकास के साथ किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। नई technology के साथ-साथ इन सब विषयों पर, चाहे देश में निवेश बढ़ाना हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग हो या नई technology हो, इन पर भी ध्यान दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन सब का जो आधार है, वह सबसे बड़ा यह है कि इन सबके कारण हम रोजगार का कितना ज्यादा सृजन कर सकते हैं, ताकि नए इंडिया में भारत की नई generation को भारत निर्माण के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया जाए, उनके लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए, मैं इस फाइनेंस बिल पर आने से पहले बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। अकसर यह कहा जाता है और पिछली बार जब यहां बजट पर डिबेट हुई थी, तो एक विषय बार-बार उठा था कि देश में पिछले पांच वर्षों में एक बहुत बड़ा structural reform हुआ और उस structural reform के कुछ परिणाम भी हुए। पहला विषय, पिछले एक कार्यकाल के बाद इस सरकार को अब जब दूसरा कार्यकाल मिला है, तो दुनिया में सब इस बात को मानने लगे हैं कि एक कार्यकाल को पूरा करने के बाद इस दूसरे कार्यकाल में देश में आर्थिक रूप से व्यापक स्थिरता आयी है। दुनिया में जब वर्ल्ड की जीडीपी 3.6 परसेंट थी, तब भारत ने अपनी

पॉलिसी के कारण, अपने विकास और आर्थिक विषयों की निरंतरता के कारण एक आर्थिक स्थिरता के मानदंड को प्राप्त किया। दुनिया के देशों को लगता है कि अगर भारत में निवेश को बढ़ाया जा सकता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में सरकार को आज इस तरह का एक राजनैतिक जन-समर्थन मिला है कि परिवर्तन के रास्ते पर चलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, निवेश के रास्ते में पॉलिसी के स्तर पर सरकार जो निर्णय ले रही है, उसमें आर्थिक स्थिरता का जो एक रास्ता है, वह एक सबसे बड़ा काम पिछले एक कार्यकाल में हुआ है।

दूसरा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी देश में केवल विकास हो और वह विकास असमान हो। विकास का अर्थ यह होता है कि विकास में समानता हो, ताकि जो व्यक्ति सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो सबसे गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके जीवन में भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो और जो सबसे ऊंचे पायदान पर है, उन दोनों के बीच में विषमता कम हो। हम कोई भी ऐसा आर्थिक विकास कभी भी मंजूर नहीं कर सकते, जिसमें आर्थिक विषमता हो। संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों के fair disbursement की बहुत आवश्यकता है। जो सबसे बड़ी बात हमारे देश के आर्थिक विकास को रोके रही, वह यह थी कि देश की आबादी का एक हिस्सा मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलीं। मैं यह मानता हूं कि आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा जो structural reform हुआ, वह यह था कि च्आधारछ जैसा कानून लाकर गरीब आदमी तक पारदर्शी तरीके से उसके संसाधनों को उस तक पहुंचाने का काम हुआ। यह सबसे बड़ा आर्थिक reform इसी देश में हुआ। इतना ही नहीं, इस देश के आर्थिक विकास में जो सबसे बड़ी बात एक कार्यकाल में हुई, वह यह है कि सरकार के द्वारा शुरू की गई जो गरीब कल्याण-केन्द्रित योजनाएं थीं, उन गरीब कल्याण-केन्द्रित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से, एक time limit के अंतर्गत पूरा किया गया। यही कारण है कि 'आधार' कानून लाने के बाद सरकार इस बात को बड़े गर्व के साथ कहती है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग आज इस 'आधार' के अंतर्गत कवर हुए हैं। उसका जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, वह यह है कि सरकार की ओर से समयबद्ध तरीके से जो योजनाएं पिछले एक कार्यकाल में बनाई गई हैं, उनके कारण भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है, जहां सबसे ज्यादा economic inclusion का कार्य हुआ है। देश में जब जन-धन खाते खोले गए थे, तब यह कहा गया था कि ये जन-धन खाते किस प्रकार से चल सकते हैं? जन-धन खातों से गरीबों का क्या लाभ होगा? लेकिन, जैसा कि मैंने अपने विषय के प्रारंभ में कहा, पिछले एक कार्यकाल में सरकार ने न केवल गरीब कल्याण योजनाओं को केन्द्रित किया है, बल्कि उसे समयबद्ध तरीके से पूरा भी किया है। पिछले एक कार्यकाल में देश की 370 केन्द्रीय योजनाओं में 55 मंत्रालयों से संबंधित योजनाओ के लाभ का 33 करोड़ जन-धन खातों में सीधा वितरण करके, गरीबों के हक में होकर गरीब लक्ष्य केन्द्र को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया और यह देश का सबसे बड़ा economic inclusion का प्रोग्राम था।

[श्री भूपेन्द्र यादव]

माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान अपने पहले भाषण में कहा था कि भारत का हर गांव बिजली से जुड़ेगा और अप्रैल, 2018 में उस आधारभूत विकास को प्राप्त कर लिया गया। इसके साथ ही साथ, सरकार ने अपनी economic policy में देश में cooperative federalism को रखा और 14th Finance Commission में राज्यों का जो प्रतिशत है, उसको 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया। GST और नीति आयोग जैसे विषयों को लाकर देश के आर्थिक विकास को एक गति दी गई, इसलिए आज हम यह कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिरता के बिन्दु को प्राप्त हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस Finance Bill के माध्यम से बजट में जो कहा था उसमें सबसे पहली बात यह कि देश के करदाताओं को उन्होंने प्रोत्साहन देने की बात कही है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि सरकार के एक कार्यकाल में हमने विकास के लिए लगातार आर्थिक स्थिरता के रास्ते को पकड़ा है। मार्च, 2015 में तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी ने अपना बजट रखा था। उस समय उन्होंने बजट को रखते हुए कहा था कि दुनिया में जिस प्रकार से corporate tax है, उस corporate tax को हम कम करेंगे। उस समय corporate tax के जो ढाई सौ करोड़ रुपये के कारोबार वाले थे, उनको 25 प्रतिशत की न्यूनतम दर के साथ लागू किया गया था। मैं वर्तमान वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार की उस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसमें 400 करोड़ रुपये तक की कंपनियां आयी हैं और इस प्रकार आज हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने वर्ष 2015 से जिस विकास की निरंतरता के विषय को आगे बढ़ाया था, आज उसमें 99.3 प्रतिशत कंपनियों को शामिल किया गया है, जो यह बताता है कि हम आर्थिक मामले में और विकास के मामले में निरंतरता के साथ काम करने वाली सरकार के रूप में काम कर रहे हैं।

महोदय, देश में आवासीय क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लिए सस्ते आवास को खरीदने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए इस फाइनेंसियल बिल में दो लाख रुपये की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये किया गया है। वास्तव में जो मध्यम वर्ग है, जो आज नए-नए शहरों की तरफ बढ़ रहा है, जो नौकरी करने वाला वर्ग है, उस वर्ग को इस फाइनेंसियल बिल में काफी सहायता देने का या मौजूदा समय-सीमा को बढ़ाकर उनको सस्ते ऋण में उपलब्ध ब्याज की कटौती को दो लाख रुपये की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये करके काफी ज्यादा सुविधा देने का कार्य इस बजट के अंतर्गत किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने फाइनेंसियल बिल में जो सबसे बड़ी बात की है कि हमने मेक इन इण्डिया को प्रोत्साहन दिया है। भारत की अवधारणा में, भारत में जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापार हैं, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र आदि को बढ़ाने का काम किया ही है, साथ ही साथ मेक इन इण्डिया में सरकार ने स्टार्ट-अप

में भी भी angel tax की विसंगतियों को भी इस फाइनेंस बिल के माध्यम से समाप्त करने का काम किया है और हम देश में कारोबार को बढ़ाने के लिए Ease of doing business की बात करते हैं, Ease of doing business के साथ-साथ लोक सभा में भी माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा था कि हमने Ease of living business को भी बढ़ाने का और उसके लिए भी इस देश के करदाताओं को, चाहे रिटर्न भरने का विषय हो, चाहे करों के विवाद का समाधान करने का विषय हो, चाहे e-return को faceless करके... लोगों को यह दिक्कत आती थी और लोगों को यह लगता था कि भारत में अगर Ease of living चाहिए तो सबसे पहले एक शब्द चल गया था 'tax terrorism', उसको सरलीकृत करना। उसमें एक तरह से सरकार ने डिजिटल विषयों को आगे बढ़ावा देकर इस बात का प्रयास किया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से faceless auditing करके एक योजना को सरकार ने किया है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से कई बार हमें लगता था कि टैक्स के विषयों के कारण व्यक्ति या व्यापारी को जो परेशानी होती है, उसको निजात दिलाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है।

हमारे देश में इस सरकार के पिछले एक कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, आज सदन में जो नहीं हैं, उन्हें आज ही नहीं... इतिहास के एक बड़े अवसर को खोया था और इतिहास के बड़े अवसर को तब खोया था, जब इस देश में हमारे देश के संविधान में कहा गया था कि हम सबको सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे, सबको आर्थिक न्याय प्रदान करेंगे, सबको राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। आर्थिक न्याय के लिए एक सहकारी संघवाद का नया विषय आया था, जब इसी सदन के अंदर सेंट्रल हॉल में जी.एस.टी. को लागू किया गया था, तब भी वे boycott कर गए थे, आज भी जब देश की ग्रोथ की बात आ रही है, तो हमारे साथी उपस्थित नहीं है, लेकिन देश के विकास की निरंतरता का और हम लोग जी.एस.टी. का जो एक परिवर्तन लेकर आए हैं, उस जी.एस.टी. काउन्सिल ने काफी सारे नियमों को संशोधित करके देश के व्यापार की सुगमता को बढ़ाने का प्रयास किया है और इस फाइनेंसियल बिल में भी जो composition और अन्य डीलरों के लिए सरलीकृत रिटर्न और भुगतान की आवश्यकताओं को करदाताओं के लिए कर के त्रैमासिक भुगतान का वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत करना और निर्दिष्ट करदाताओं को प्रस्तावित नई रिटर्न प्रणाली के तहत तिमाही या मासिक रिटर्न और करों के भुगतान के लिए विकल्प देने का प्रावधान किया गया है... जीएसटी अधिनियम के सेक्शन (39) में संशोधन किया गया है, मुझे यह लगता है कि छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए फाइनेंस बिल में यह बहुत बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। जीएसटी में चाहे माल की आपूर्तिकर्ता के threshold सीमा वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया हो, चाहे जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए कम्पोज़िशन योजना की बात की गई हो और सबसे बड़ी बात, जो डिजिटल बही-खाता है, उसको बढ़ाने के लिए संशोधन की बात की गई हो, इस माल सेवा कर में, जीएसटी में सेक्शन(39) में, सेक्शन(22) में और सेक्शन (10) में जो परिवर्तन इस फाइनेंस बिल के माध्यम

[श्री भूपेन्द्र यादव]

से लाए गए हैं, मुझे लगता है कि देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए और देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए यह एक बड़ा प्रावधान करने का प्रयास किया गया है।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने इस देश में 'मेक इन इंडिया' के लिए और घ्मेक इन इंडियाङ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कस्टम के संबंध में जो विषय उठाए हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस फाइनेंस बिल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं, जिनके बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस फाइनेंस बिल में विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में सुधार करने के लिए काफी सारे प्रावधान किए हैं। उनके इस कार्य के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ा विषय है और जिसके लिए राजनीतिक रूप से एक संकल्पना साकार होने के नाते हम लड़ते रहे हैं। हम यह कहते हैं कि आम और गरीब आदमी के लिए संसाधन उपलब्ध हों, उसके लिए गरीब कल्याण योजनाएं हों, लेकिन गरीब का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वह भ्रष्टाचार और काला धन होता है। हम यह भूल जाते हैं कि जो भ्रष्टाचार किया जाता है या जो काला धन इकट्ठा किया जाता है, वास्तव में गरीब का शोषण करके ही काला धन और भ्रष्टाचार खड़ा किया जाता है। हमारी सरकार ने, सरकार में आने के बाद पिछले कार्यकाल में, एक लंबे समय से जो काले धन की लड़ाई को लड़ने का विषय था, उसको करने का काम किया है। इसमें बेनामी संपत्ति कानून और बाकी सारे कानूनों को लाने का प्रावधान किया है, इसलिए इस फाइनेंस बिल में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि बेनामी संपत्ति के लेन-देन के अधिनियम में काला धन और अघोषित विदेशी आय और संपत्ति के संबंध में और उसके साथ-साथ जो परिवर्तन इस समय में देश में काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए करने चाहिए, उन्होंने इस फाइनेंस बिल में उन सारे प्रावधानों को रखने का प्रयास किया है। उसके साथ ही साथ देश में अर्थव्यवस्था पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए पैन कार्ड और आधार का जो कम्पल्शन इस फाइनेंस बिल में लेकर आयी हैं, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने बजट के दस्तावेज को रखा था, उसको पूरा करने के लिए पैन कार्ड और आधार के कम्पल्शन को लागू किया है। करदाताओं के लिए Ease of Living के लिए जो प्रावधान वे लेकर आयी हैं, उसका भी और विशेष रूप से 'सबका विश्वास' या लीगेसी विवाद समाधान योजना, जो वे लेकर आयी हैं और कैशलेस ऑडिटिंग, जिसके बारे में मैंने पहले भी दोहराया है, इनकम टैक्स के लिए जो कैशलेस ऑडिटिंग की व्यवस्था वे लेकर आयी हैं, वह देश के बजट प्रावधानों को एक तरीके से मजबूती देने वाला विषय है।

श्री उपसभापति : माननीय भूपेन्द्र जी आपकी पार्टी के दो स्पीकर्स और हैं।

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, मैं दो मिनट में अपना विषय समाप्त कर लेता हूं। वे काफी ज्यादा प्रावधान लेकर आयी हैं। महोदय, चूंकि समय की मर्यादा सब के लिए है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने विषय के बारे में कहते समय इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पहली बार हमारे देश का जो बजट था, उस बजट में काफी सारे बिंदुओं को लिया गया था। मैं केवल इन बिंदुओं की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि देश में रियल एस्टेट सेक्टर में हम 'RERA Bill' लेकर आए थे और इस बजट के प्रावधानों में माननीय वित्त मंत्री जी ने रेंटल हाउसिंग के लिए एक कानून लाने की बात कही थी। देश में बढ़ते हुए जल संकट के लिए जल शक्ति मंत्रालय, उच्च शिक्षा का विषय, श्रम सुधार का विषय, स्त्री-पुरुष समानता का विषय, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको ओवरड्राफ्ट देकर उनको मजबूती देने का विषय, मुद्रा लोन का विषय और जो एनबीएफसी का विषय है, इस देश का जो सबसे बड़ा संकट है, हमारे छोटे बैंकिंग प्रावधान वाले जो संस्थान हैं, उनके लिए वे सारे विषय लेकर आयी थीं। उन सारे विषयों को उन्होंने अपने इस फाइनेंसियल बिल के माध्यम से बहुत सारे विषयों को संबोधित करने का प्रयास किया है।

मेरा यह मानना है कि कोई भी अर्थव्यवस्था और कोई भी आर्थिक तंत्र तब तक सुचारु रूप से नहीं चल सकता, जब तक हम उसे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से न जोड़ सकें। महोदय, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से जोड़ने का क्या अर्थ है? मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड का जो अर्थ है कि हम स्त्री-पुरुष समानता में विश्वास करें, उसे ध्यान में रखते हुए इस बजट में उन्होंने 'नारी तू नारायणी' का विषय रखा है कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश में हम केवल कृषक ही नहीं बल्कि कृषि उद्यमी बनने के लिए, agricultural entrepreneur बनने के लिए आगे बढ़ें। हमारे देश में एमएसएमई के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए भी मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को बजट में लिया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार वह सरकार है, जिसने केवल लक्ष्यों को निर्धारित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें समय के साथ पूरा करने का काम भी किया है। इसलिए इस फाइनेंस बिल के माध्यम से उन्होंने इस देश का जो बजट है, उसके द्वारा भारत को 5 trillion dollar की economy बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसके लिए व्यवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक financial संशोधन का विषय माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा Finance Bill में रखा गया है, मैं यह मानता हूं कि वे भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आयी हैं। मैं सारे सदन से यह कहना चाहता हूं कि हम सर्वानुमति से इस Finance Bill का समर्थन करें, ताकि भारत समतायुक्त समाज के रूप में एक ऐसा भारत बने, जिसमें विषमता कम

[श्री भूपेन्द्र यादव]

हो, जिसमें हर आदमी को विकास के अवसर उपलब्ध हों, जिसमें नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और जिसमें समाज के सभी वर्गों में समानता स्थापित हो - इन सब बातों के लिए बजट का दस्तावेज और उसके समर्थन में Finance Bill हमारे सामने आया है, उसे पारित करने के लिए हम सब लोग अपना समर्थन दें, धन्यवाद।

SHRI A.K. SELVARAJ (Tamil Nadu):* Hon.ble Deputy Chairman Sir, I thank you very much for allowing me to participate in the Appropriation Bill 2019. On behalf of my party AIADMK, I welcome the Budget presented by the Hon. Minister of Finance. The Budget will pave the way for development in all sectors and will also help to improve the life of poor people. The Government has given more importance to water management. The Government has also announced ₹61,000 crore for the interlinking of Godavari and Cauvery rivers. I welcome these initiatives. But, at the same time, the allocation of fund for this project has not been mentioned in the Budget. It is worrisome. Therefore, I request the Hon. Finance Minister to allocate fund for the first phase of this project in this Budget itself.

The Government of Tamil Nadu had sent a proposal of ₹17,600 crore for the improvement of Cauvery Irrigation System to the Central Water Commission. The Central Water Commission has already approved in- principle clearance for one of the nine components of this project, Grand Anaicut Canal Project. Hon. Puratchithalaivi Amma, goddess of our heart, the former Chief Minister of Tamil Nadu had laid the foundation stone for the first phase of Chennai Metro Rail project.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now. Otherwise, I will move to other speakers now.

SHRI A.K. SELVARAJ: Sir, just one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please see the time. Your party time is already over and one more speaker is left.

SHRI A.K. SELVARAJ: Sir, just give me two minutes. *It is being implemented as a joint venture project between the State and the Center under 50:50 ratio. And for Phase-II of the project, Japan International Cooperation Agency has already approved a loan of ₹20,196 crore. ₹10,351 crore has been approved in principle as a loan assistance from ADB, AIIB, NDB and the World Bank.

*English version of the original speech made in Tamil.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You just conclude. Otherwise, I will move to next speaker.

SHRI A.K. SELVARAJ: * Therefore, I request the Union Government to give its share of 50 per cent for phase II of Chennai Metro Rail Project.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak your last sentence. Otherwise, I will move to other speakers.

SHRI A.K. SELVARAJ: * Now, I would like to mention about the implementation of 14th Finance Commission. Tamil Nadu has received reduced devolution as compared to all other states and Tamil Nadu is the only state to get the minimum share of Central taxes which is less than 30 per cent. I request the Union Government to provide special assistance of ₹2,000 crore to compensate the reduced devolution under the 14th Finance Commission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K.J. Alphonso.

SHRI A.K. SELVARAJ: One minute, please.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not one minute. Just speak your last sentence.

SHRI A.K. SELVARAJ:* Similarly, the grants for local bodies are not given. Finally, the Union Finance Minister, is the first full-time woman Finance Minister of India. She is from Tamil Nadu. I request that she has to kindly allocate more funds to Tamil Nadu as requested by the State Government of Tamil Nadu.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, your Party have no time for other speakers to speak. Thank you. Now, Shri K.J. Alphons, सिर्फ आपकी बात रिकॉड में जाएगी। It is not going on record. श्री एल्फोंस, आप अपनी बात कहिए।

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for this opportunity to speak again in support of the Finance Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Party has 12 minutes and two speake₹ So, kindly note that.

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, how many minutes do I have?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Six minutes.

*English version of the original speech made in Tamil.

SHRI K.J. ALPHONS: Mr. Deputy Chairman, Sir, it is not a very pleasant experience to speak, to debate on a very serious issue when the Opposition Benches are empty because we can't be passionate about something when there is nobody on the other side. I know exactly why they are absent. They don’t want to suffer the truth. Their own Prime Minister had said in 1984 that for every rupee that is spent, only 15 paise reach the people. I don't understand from 1984, how the Budget was approved by this House. When this House was told, that 85 paise from every rupee was being stolen, which was being given to the people of India, how come this House approved and also the Lok Sabha approved the Budget for spending? They are ashamed because here is a Prime Minister who has said, 'I will not steal and I will not allow anybody else to steal'. You heard, Mr. Deputy Chairman Sir, from all the distinguished speakers here, -- I had also spoken earlier on the Motion of Thanks to the President's Address and also on the Budget, that all the micro economic fundamentals of this country today are better than ever before. And, therefore, this Government is hugely on track and the hon. Finance Minister of this country today has brought out a very compassionate Budget. This Budget is for everybody. But, one thing is very, very clear. Our heart is with the poor people. The Prime Minister has made it very clear that this Government is for the poor people. We want to give them a dignified life. This Government has, for the middle class people, given tax break. Sir, for the industry, to come and invest here, we have given them corporate tax break in this Budget. All that is being done across the board, everybody gets it today. The hon. Finance Minister has presented a very simple Budget. There are no complications in this Budget. Nobody needs to see it through a microscope as to what is there. This Budget is very, very clear. We have laid the foundation of a great country. We are going to the next stage to provide livelihood for the people and to bring a sense of dignity to everybody. Livelihood is the focus of this Budget. Since all the figures, all the numbers have already been mentioned by various hon. speakers and in my earlier speeches also, where I had mentioned all the numbers, I would like to talk about one issue, that is, the education sector. This year, we are spending about ₹94,583 crores on education. I hope the figure is approximately right. This is ₹10,000 crores more than what was provided in the last Budget. During the past five years, from about ₹3,50,000 crores, the expenditure on education today has come to about ₹5,50,000 crores, the contribution of Centre and States put together. This Government has started seven IITs, seven IIMs, 15 IIITs and 15 All-India Institutes of Medical Sciences. We are making education available to every

segment of the society so that we have a scientific society, a society which is empowered and our young people are empowered. But, I would like to make a suggestion to the hon. Finance Minister in all humility, because I am a junior Member and I think it would not be appropriate to advise her. I am just recollecting a small story. A few years back, when I was the Principal Secretary to the Government of Kerala, we arranged a huge, massive function to congratulate the girl who had come first in the class 12th examination. The Chief Minister and the Education Minister were present there. I had organized that function. After the function, when the girl came down from the stage, I asked her a very simple question. To this 18-year old, topper, genius girl, I put a very simple question, "What are you going to do with your life?" She thought for a few minutes and then she told me, "I will go home, I will ask mother and I will tell you." Mr. Deputy Chairman, Sir, it was very shocking to me. The quality of learning has gone up tremendously in this country. The dropout rates have gone down dramatically in this country. In fact, the gross enrolment rate in schools today is 96 per cent for girls and 95 per cent for boys. The dropout rates are approximately 6 per cent only in the primary and upper primary schools, but shockingly, it goes up to about 20 per cent when it comes to secondary schools. The college enrolment is 26 per cent for girls and 25 per cent for boys. The problem is: what is the point in being a rank-holder, getting 499 marks out of 500, if the child does not have a dream? And, Sir, this is exactly what the hon. Prime Minister has conveyed to the country in his *Mann Ki Baat*.. His *'Mann Ki Baat'* does not come from him; it comes from the people. This nation needs a dream, and this Budget is a dream of the nation for the future : how do we make India not only the fastest-growing economy in the world but how do we also make our children dream, how do we make Indians dream? Sir, I am very sorry to say that the Government and the Prime Minister cannot be told, "It is only your responsibility to take the country forward." It is equally the responsibility of the parents, the children and we all need to work together. The huge dream of the hon. Prime Minister to make India the most beautiful country in the world has to be shared by the parents, the teachers, the traders, the business community and everybody. This is something which this country needs to take a decision on. Let's share the dream of the hon. Prime Minister. Regarding our children, I would again say that there is no point in getting 499 marks out of 500 only if a student goes to the tuition teacher, does the rote learning, reproduces the text without missing a coma or a full-stop and reproduces what his or her teacher has told without knowing why

[Shri K.J. Alphons]

he or she is born for. This will not take our country forward. What is the dream of the Prime Minister of India? So, my request to hon. Finance Minister, and I am fortunate that the former HRD Minister is also here, let's put the dream of the hon. Prime Minister into the hearts of these children and parents. Very often, it is seen that we blame the students alone. It is the parents who are supposed to be the best friends of the students. But, today, some parents are the biggest enemies telling the child, “This is your dream. You have no right to dream for yourself.” The second best friend of the student is supposed to be the teacher, who again telling him in school, “You shall not have a dream. This is the dream.” Sir, these are the big reforms. We need: to have a dream I would humbly suggest that we should utilize big allocations provided by the Finance Minister to take forward the dream of the hon. Prime Minister to make this country beautiful. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri S.R. Balasubramoniyan. Your party has no time, but you can speak for two minutes.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, all the Members have said that they are happy about Shrimati Nirmala Sitharaman taking over as the Finance Minister. I am also doubly happy that she is the Finance Minister today. She is not the first woman to be the Finance Minister, as 50 years ago, Smt. Indira Gandhi took over as the Finance Minister. She made a dramatic announcement on 19th July, 1969, in which 14 scheduled commercial banks were nationalised. Sir, that announcement had an electrifying effect. Sir, we have had many Finance Ministers from the State of Tamil Nadu. She is also from the State of Tamil Nadu. The first Finance Minister of Independent India was Shri R.K. Shanmukham Chetty. Sir, he was followed by Shri T.T. Krishnamachari and then Shri Chidambaram Subramaniam and then Shri R. Venkataraman and, of course, finally we had our friend Shri P. Chidambaram, who is a Member of this House, as a Finance Minister of India. Now, she has taken over as the Finance Minister of India. I am very happy. I wish her a very successful tenure as a Finance Minister. Sir, as I told you that she is not the first Finance Minister, but, I would like to bring to the notice of this House at least one reform. Sir, this House is a toothless baby. This House has no teeth as far as the money matters are concerned. Sir, anything passed by this House is just thrown away. I do not blame it on any of the present leaders. But, this is written in our

Constitution, and we have to go by it, and we all agree to it. Sir, in many countries, you cannot overrule the Upper House. That is the position. Here also, a baby is born without tooth. But, after one year, tooth starts growing. It will start from one year, and slowly within ten or twelve years the baby gets the teeth. Sir, in the same way, this House also must get some teeth. Sir, we do not say that give all the powers to the Upper House. But, slowly and steadily she can do it. I hope she will do it. Madam, I wish you a successful tenure as a Finance Minister. Thank you so much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The last speaker on this discussion is Shri Suresh Prabhu ji.

श्री सुरेश प्रभु (आन्ध्र प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उस दिन सदन में इतनी शांति न होने के बावजूद आपने मुझे बोलने का मौका दिया था। आज, चूंकि सदन में शांति है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा मौका देंगे।

श्री उपसभापति : सुरेश जी, पार्टी का समय पांच मिनट है। आगे और भी बिजनेस है, इसलिए मेरी भी सीमा है। मुझे मालूम है और आपको यह अनुभव है कि आप कम समय में भी अपनी बात अच्छी तरह से कह सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, उस दिन भी मुझे प्रधान मंत्री जी और वित्त जी को धन्यवाद देने का मौका मिला था और आज दोबारा जब मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि नई सरकार बनने के बाद का पहला बजट, जो निर्मला जी ने सदन के सामने लोग सभा में प्रस्तुत किया, उसके कारण मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों के देश की चिन्ताएं, देश की जरूरतें और देश की जो मांग रही है, उन सभी बातों पर ध्यान देकर ही यह बजट बनाया गया है। इसके लिए मैं उन्हें पुन: बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैंने उस दिन भी, जब ये बैठी थीं, तब भी मैंने संक्षेप में अपनी बात कही थी। आज दो बिलों के बारे में चर्चा हो रही है- एक तो फायनेंस बिल और दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल। मैं फायनेंस बिल के बारे में वित्त मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं।

क्योंकि हमारा जो फायनेंस बिल बनता है- पेशे से मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट था, लेकिन अब नहीं हूं- मैं देख रहा था कि जो अमेंडमेंट्स किए गए है, वे किस तरह से दिखाए गए है- सैक्शन 80 में इतने अमेंडमेंट्स है- 80(E)(E)(A) and 80 (E)(E)(B), यह बात मैं किसी पर्टिकुलर क्लॉज़ या सैक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से फायनेंस बिल में संशोधन किए जा रहे हैं, उससे उसे समझना कठिन होता जा रहा है। यह पहली

5.00 P.M.

[श्री सुरेश प्रभु]

बार नहीं किया गया है। पहले जब वर्ष 1962 में जब इन्कम टैक्स कानून बना था, उस समय से लगातार उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सरलता लाने के लिए यह आवश्यक है और मैं आपसे विनती करूंगा कि इन्कम टैक्स का एक नया ही टैक्स कोड बनाया जाए और डायरेक्ट टैक्स कोड आदि उसमें सभी को रखा जाए। उसमें इन्कम टैक्स भी हो और कस्टम आदि सभी प्रकार के टैक्स के बारे में जानकारी हो, ताकि उसे लोगों को समझने में सुगमता रहेगी और हमारी जो भी चिन्ताएं रही हैं, जिनके कारण हम संशोधन करते हैं, उसके ऊपर भी हम सही मायने में कार्रवाई कर पाएंगे।

महोदय, दूसरी जो बात हो रही है, वह एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में है, क्योंकि जब तक लोक सभा उसे पारित नहीं करती, तब तक हम कंसॉलिडेटेड फंड से धन विदड्रा नहीं कर पाते हैं। उसमें हमारी एक प्राथमिकता रही है कि how do you increase the growth of the economy? वैसे तो मैं जब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर था, आज की वित्त मंत्री महोदया, वित्त मंत्री बनने से पहले कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर थीं, इसलिए उन्हें पता है कि हमने लगभग एक साल पहले से एक नई पहल शुरू की है कि District-led growth. Sir, if all Districts in India can grow by three or four per cent more than the normal growth, then India's GDP will grow by three or four per cent more than the normal growth, because at the end of the day, the aggregation of the District GDP is the GDP of India. Sir, we have started working on it. So, I will request the hon. Finance Minister to take it forward. We have started working on six districts in five States. I request her to please take it forward and take it to a new level. Sir, another point, on which I think, we should try to focus a little bit more is the cooperatives of India. Sir, cooperatives have a very unique place in the socio-economic life of the country. There are shining examples like Amul, which have transformed...

श्री उपसभापति : माननीय सुरेश प्रभु जी, आज शाम 5 बजे के लिए Half-an-Hour Discussion listed था Shri Rewati Raman Singh has to raise a discussion on points arising out of answer given in the Rajya Sabha on 24th June, 2019 to Starred Question No. 19, regarding 'Clean Ganga Drive'. Shri Rewati Raman Singh is not available. Shri Ravi Prakash Verma who has supported the notice may initiate the discussion. He is not present. Now, when Shri Ravi Prakash Verma is also not available, this Half-an-Hour Discussion is not taken up. Now, we will continue the discussion on the Appropriation (No. 2) Bill and the Finance (No.2) Bill. Shri Suresh Prabhu, please continue.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, as I was saying, cooperatives have got a very unique place in the socio-economic life of a country. The way Amul has transformed the rural economy and has brought in dynamic changes in the lives of rural women is something which cannot be seen in any part of the world. So, I think, cooperatives need a special support from the Government. We really need to find out how a dispensation can be created wherein cooperatives can be supported in a very significant way.

Sir, other priority of ours is exports. I would say to the hon. Finance Minister that exports is the priority for the country but it does not seem to be a priority for the banking sector. We must bring export finance as a priority sector lending as that itself will boost necessary credit which is required as a lifeline for the exports of the country.

Trade facilitation, bringing in coordination between Customs, DGFT and other organizations, which actually promote international trade, is something which is the prime need, and, I hope that also will be done. I will request, मैं वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि हमने श्री सुरजीत भल्ला के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, जिसका हमारे Economic Survey में जिक्र किया गया है। मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे बिन्दु हैं, जिनके ऊपर काम करने से, उन पर पहल करने से आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को और भी तेजी से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, इसीलिए मैं विनती करता हूं कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए।

सर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब उसी समय देश के कुछ हिस्सों में, जैसे असम है, बिहार है, वहां बाढ़ के कारण सभी लोग परेशान हैं। जब मैं बात कर रहा हूं, तो उसी समय दक्षिण भारत में और खास कर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा जैसे इलाकों में आज सूखे की स्थिति है। सर, एक ही देश, जहां पर कुछ लोग बाढ़ के कारण परेशान हैं और कुछ लोग सूखे के कारण त्रस्त हैं, तब क्यों न हम एक ही देश में रहने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए अच्छी मात्रा में पानी की पहल करें? मैं इसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। मुझे लगता है कि उसके साथ-साथ मिलते हुए, गांव से लेकर, घर से लेकर, देश तक की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए पानी के मामले में भी काम करने की आवश्यकता है।

सर, मैं एक ऐसा सुझाव देना चाहता हूं कि जब हमने फायनेंस कमीशन बनाया था- पिछले दो फायनेंस कमीशन की Terms of Reference के स्वरूप में बहुलगामी बदलाव किया गया। उसमें कहा गया था कि जो Local Self Government हैं, जिनको 73rd और 74th

[Shri Suresh Prabhu]

amendments करने के बाद कुछ अधिकार प्रदान दिए गए थे, आज हमने उनके लिए कुछ प्रावधान किए थे, so thate the Finance Commission can direct devolution not only to the State Government but also to the local self bodies. प्रधान मंत्री जी ने Ease of Living का यह जो नया कार्यक्रम अपनाया है, यदि हम फायनेंस कमीशन में थोड़े से संशोधन करते हुए उन्हें कहेंगे कि अब ऐसे शहर हैं, ऐसे जो गांव हैं, ऐसे जो छोटे-छोटे टाउन्स हैं, यदि उनमें Ease of Living के ऊपर अच्छा काम किया जाता है- जहां पर पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, लोगों के जीवन में सुधार लाया जाएगा, यदि ऐसे लोगों को भी फायनेंस कमीशन डायरेक्ट पैसा देगा, तो मुझे लगता है कि उसमें भी लोगों के लिए एक incentive की बात होगी। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।

श्री उपसभाति : माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया है। एक मिनट बोल लीजिए।

श्री सुरेश प्रभु : सर, उस समय का थोड़ा सा compensate कर दीजिए...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए, क्योंकि माननीय मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री सुरेश प्रभु : उपसभापति महोदय, Fiscal policy और Public policy, इनमें Convergence लाने की जरूरत है। जैसे कि Renewables हैं एनर्जी के लिए, Transportation के लिए रेलवे है, वह क्लीन ट्रांसपोर्ट है। job creation, लोगों को रोजगार मिले, यह हमारी बहुत बड़ी चिंता रही है। पानी की समस्या है, साथ ही छोटे-मोटे उद्योग किस तरह से बढ़ें, यह भी चिंता है। मुझे लगता है कि public policy के इन बिन्दुओं पर ध्यान देकर हम कहते हैं कि हमारी ये प्राथमिकताएं है, लेकिन fiscal policy में भी इन्हीं बिन्दुओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए convergence of public policy and fiscal policy is something which we really need to do. I would also request for the industries. Startups have already been mentioned. Knowledge-based industries should also be taken care of.

Another growing concern, which I would like to share with hon. Finance Minister, is that some States are walking out on the commitment that they made when they had signed some contracts.

Sir, on Ease of Doing Business, one of the cardinal principles is honouring contractual obligation. If States walk out on it, they do not honour Power Purchase Agreements (PPAs), then how will there be anybody who will make investment here, forget foreigners, even within the country?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री सुरेश प्रभु : सर, मेरा जो खुद का स्टेट है, जहां से मैं चुन कर आया हूं, आन्ध्र प्रदेश, उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने बड़ी मात्रा में समर्थन भी किया है, support

भी किया है, लेकिन मेरी उम्मीद रहेगी कि आन्ध्र प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र सरकार और तेजी से ज्यादा धन दे, मैं यह विनती करूंगा। मेरी यह भी विनती रहेगी कि किस तरह से District Rural Development Agency (DRDA), जो गांव के लेवल पर काम करती है, उसमें हमने काफी अच्छी तरह से convergence के लिए काम किया था, लेकिन अभी जो बहुत सारी जानकारी योजनाएं आ रही हैं, तो मैं वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा। to keep tabs on expenditure, we should look at how that expense happens at the level of village, taluka, and district also. Please try to look into that. Thank you, Sir.

MESSAGES FROM LOK SABHA

Regarding nomination of five members to the Joint Committee on Office of Profit

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 23rd July, 2019, adopted the following motion:-

"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen Members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the Members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:-

That the functions of the Joint Committee shall be-

(1) to examine the composition and character of all existing "committees" [other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred] and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a Member of either House of Parliament under article 102 of the Constitution;

(ii) to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify: